छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग

वार्षिक प्रतिवेदन

वर्ष 2008 -09

छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग
21, रविनगर, कलेक्ट्रोट के पीछे, रायपुर (छ.ग.) फोन : 0771-2420352

पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष मा. नारायण चंदेल के विधायक निर्वाचित होने के उपरांत पुष्पमाला से स्वागत करते हुए राज्य पिछड़ा आयोग के पूर्व सदस्य मा. डाँ. गणेश सिंह कौशिक

पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व सदस्य मा. नंदकुमार साहू के विधायक निर्वाचित होने के उपरांत पुष्पमाला से स्वागत करते हुए राज्य पिछड़ा आयोग के पूर्व सदस्य मा. डाँ. गणेश सिंह कौशिक

पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व सदस्य मा. नंदकुमार साहू के विधायक निर्वाचित होने के उपरांत पुष्पमाला से स्वागत करते हुए राज्य पिछड़ा आयोग के पूर्व सदस्य मा. देवेन्द्र जायसवाल

पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व सदस्य मा. नंदकुमार साहू विधायक निर्वाचित होने के उपरांत पुष्पमाला से स्वा करते हुए राज्य पिछड़ा आयोग के पूर्व सदस्य मा.प्रहलाद रजक

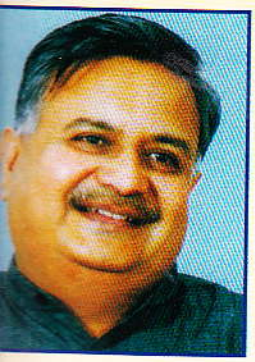

डा. रमन सिंह
मुख्यमंत्री
छ.ग. शासन

मंत्रालय
रायपुर, छत्तीसगढ़
MANTRALAYA
RAIPUR, CHHATTISGARH
Ph. (O) 0771-2221000-01
Fax :0771-2221306
Ph.:(R) 0771-2331000-01

संदेश

छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का नवीनतम वार्षिक प्रतिवेदन राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सार्थक पहल एवं रचनात्मक कार्यो का ब्यौरा है । छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के शैक्षणिक, सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान हेतू जो कार्यक्रम संचालित किये जा रहे है उसके प्रति समाज में जागरुकता का वातावरण बनाने में आयोग अपनी महती भूमिका का निर्वहन कर रहा है ।

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अपने गठन के उद्देश्य के प्रति गंभीर एवं सजग रहते हुए पिछड़े वर्ग समाज के सजग प्रहरी के रुप में शासन के साथ अपनी सार्थक पहल के क्रियान्वयन में अपनी रचनात्मक सक्रियता को जीवन्त रखे । आयोग के सृजनात्मक-दूरदर्शी कार्यो को प्राथमिकता के साथ क्रियान्वित करने हेतू छत्तीसगढ़ शासन कृत्त संकल्पित है ।

प्रतिवेदन के सफल प्रकाशन पर हार्दिक शुभकामनाएँ।

रमन सिंह
मुख्यमंत्री

केदार कश्यप

मंत्री

आदिम जाति तथा अनु. विकास विभाग,
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
छत्तीसगढ़ शासन

फोन (कार्या.) : 4080906
2221106
(नि.) 2331032
2331033
डी.के. एस. भवन मंत्रालय
कमरा नं.- 106
रायपुर- 492 001, छत्तीसगढ़

संदेश

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पिछड़े वर्गो के हितार्थ में लोककल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रम को राज्य स्तर पर अपने व्यापक प्रचार-प्रसार एवं जनसम्पर्क के माध्यम से लोकप्रिय बनाने में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अपनी सकारात्मक भूमिका का निर्वहन तत्परता से करने में सफल रहा है।

आयोग की व्यापक भूमिका को और अधिक सशक्त बनाने हेतू उसकी अनुशंसाएँ एवं कार्यवाहियों को शासन स्तर से लगातार समर्थन प्राप्त होता रहेगा।

छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग का यह वार्षिक प्रतिवेदन अन्य पिछड़े वर्ग के समाज प्रमुखों एवं प्रमुख शासकीय कार्यालयों तक सम्प्रेषित हो ताकि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रचनात्मक गतिविधियों से और भी अनेकानेक जन-लाभ उठा सके।

वार्षिक प्रतिवेदन को सफल प्रकाशन पर हार्दिक शुभकामनाएं

केदार कश्यप
मंत्री

नारायण चंदेल
विधायक
क्षेत्र : जांजगीर-चांपा-34
छत्तीसगढ़ विधानसभा

पूर्व अध्यक्ष एवं विधायक
स्टेशन चौक
मु.पो.: नैला जांजगीर 495 668
जि. : जांजगीर चांपा (छ.ग.)
मो. : 94252 20221

संदेश

छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, रायपुर के सुगम और सुचारू रुप से कार्य संचालन के लिए समय-समय पर उपलब्ध कराए गये कार्मिकों तथा वित्तीय व्यवस्था के लिए मैं छत्तीसगढ़ शासन का हृदय से आभारी हूँ।

मैं छत्तीसगढ़ की समस्त जनता का हृदय से आभारी हूँ, जिसने इस आयोग को निरंतर शिकायत/ सुझाव प्रेषित कर आयोग की कार्य प्रणाली में विश्वास व्यक्त किया है। मैं छत्तीसगढ़ के समस्त जिलाधिकारियों / पुलिस अधीक्षकों / विभागाध्यक्षों का विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने आयोग में दर्ज शिकायतों के निराकरण में सहयोग प्रदान किया है ।

आयोग के सचिव श्री एच.के. सिंह उइके एवं तत्कालीन सचिव श्री बद्रीश सुखदेवे, अनुसंधान अधिकारी श्रीमती अनिता डेकाटे, निज सचिव श्री शत्रुहन लाल साहू, श्री उत्तरा पटेल तथा स्टाफ के अन्य लोगों ने सहयोग किया है ।जनता ने मुझे अपने प्रतिनिधि के रुप में विधानसभा सदस्य की जिम्मेदारी सौंपी है ।मैं सभी समाज के साथ पिछड़ा वर्ग के उत्थान, विकास एवं उनके समस्याओं को सुलझाने की यथा संभव प्रयास करता रहूंगा। आयोग द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशित करने जा रहा है ।मुझे आशा है कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, पिछड़ा वर्ग बाहुल्य छत्तीसगढ़ राज्य मे पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए कार्य करने तथा उनके हितों की रक्षा करने में सदैव हितप्रहरी के रुप में तत्परतापूर्वक कार्य करता रहेगा ।

इन्हीं शुभकामनाओं के साथ...

नारायण चंदेल

नंदकुमार साहू

विधायक
क्षेत्र- रायपुर ग्रामीण
छत्तीसगढ़ विधानसभा

विधायक
क्षेत्र - रायपुर ग्रामीण
छत्तीसगढ़ विधानसभा
बोरिया खुर्द, रायपुर-जिला
मो.: 098261-48304

संदेश

छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन के प्रकाशन पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ है । प्रतिवेदन किसी भी संस्था के वर्ष भर की गतिविधियों का दर्पण होता है ।

पिछड़ा वर्ग आयोग का पूर्व सदस्य एवं पिछड़ा वर्ग समुदाय का होने के नाते मेरा हार्दिक प्रयास रहा है कि, पिछड़े वर्गो के होने वाली असुविधाओं को हम जल्द से जल्द समाप्त करे एवं आयोग के माध्यम से पिछड़े वर्गो के स्वर को और भी बुलंद बना सके ।

पिछड़े वर्गो के हितार्थ शासन स्तर पर संचालित लोककल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जन-जन तक पहुँचे ऐसा प्रयास आयोग को करना चाहिए एवं आयोग पिछड़े वर्गो के हित प्रहरी के रुप में सदैव अपनी सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करता रहेगा ।

जनप्रतिनिधियों के रुप में आयोग को और सशक्त बनाने हेतु मेरा समर्थन सदैव प्राप्त रहेगा । अशेष शुभकामनाओं सहित....

नन्दकुमार साहू
विधायक
(रायपुर ग्रामीण)

आर.पी. मंडल (आई.ए.एस.)
सचिव
अजा. एवं अजजा. विकास विभाग

फोन (कार्या.) : 4080261
2221328
डी.के. एस. भवन मंत्रालय
कमरा नं.- 261
रायपुर- 492 001, छत्तीसगढ़

संदेश

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, रायपुर ने अपना द्वितीय वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, तथा द्वितीय वर्ष के कार्यों के संबंध में अपना द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशित करने जा रहा है ।

मुझे आशा है कि छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, पिछड़ा वर्ग बाहुल्य छत्तीसगढ़ राज्य में पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये कार्य करने तथा उनके हितों की रक्षा करने में सदैव हितप्रहरी के रुप में तत्परतापूर्वक कार्य करता रहेगा ।

इन्हीं शुभकामनाओं के साथ....

R Mandal

आर.पी. मंडल

डॉ. बी.एस. अनंत

(भा.प्र.से.)

आयुक्त

कार्यालय आयुक्त

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास

पं.र.वि.वि. परिसर, छ.ग. रायपुर 492010

दूरभाष : 0771-2263708 (का.) 2262558 (फै.)

मो. नं. 94242-43600 (नि.) 2881466

e-mail:ctd.cg@nic.in

संदेश

छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, रायपुर अपना द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशित करने जा रहा है, यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई ।

मैं आशा करता हूँ कि आयोग के इस प्रतिवेदन में राज्य के अन्य पिछड़े वर्गों के हित में उठाए गए सभी मुददों की समम्पूर्ण जानकारी होगी । छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण से अब तक अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण में आयोग की महती भूमिका को यह प्रतिवेदन सार्थक करें ।

इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ।

(डॉ0 बी0 एस0 अनंत)

डॉ. अनिल चौधरी
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
अजा. एवं अजजा. विकास विभाग

डी.के.एस. भवन, मंत्रालय
रायपुर, 49200, छत्तीसगढ़

संदेश

छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ,रायपुर के द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन के प्रकाशन पर हार्दिक शुभकामनाएँ सम्प्रेषित करते हुए मुझे हर्ष है । यह प्रतिवेदन आयोग के कामकाज का प्रतिबिम्ब साबित होगा एवं पिछड़े वर्गो के उत्थान के लिए किए जा रहे कार्यो की वास्तविक तस्वीर प्रस्तुत करने में सफल रहेगा ।

छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग आयोग पिछड़े वर्गो के लोगों के सर्वांगीण विकास हेतू अपनी सक्रिय भूमिका के निर्वहन में सक्रिय रहते हुए शासन के कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार एवं पिछड़े वर्गो की समस्याओं को शासन स्तर तक पहुँचाने में सेतू का कार्य करता रहे ।

इन्हीं शुभकामनाओं के साथ

डॉ. अनिल चौधरी

एच.के. सिंह उइके
सचिव
छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग

कार्यालय
छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग
रविनगर, कलेक्ट्रोट के पीछे, रायपुर
दूरभाष : 0771-2420352
मो. नं. 94242-68

प्राक्कथन

छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग 23 जनवरी 2007 से अपने वैधानिक गठन उपरांत अपने मूल उद्देश्यों के क्रियान्वयन में समर्पित रहा है। आयोग के माननीय अध्यक्ष व माननीय सदस्यों द्वारा आयोग के कार्यलयीन परिवार के साथ अपने साझा प्रयासों से राज्य के पिछड़ा वर्ग समुदाय की अनेक समस्याओं पर राष्ट्रीय स्तर की पहल की तथा शासन स्तर पर आयोग द्वारा की गई अनेकानेक अनुशंसाओं को शासन ने सकारात्मक रूचि लेते हुए स्वीकार किया ।

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का यह द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन (जुलाई 2008 से जुलाई 2009 तक की) अपनी सम्पूर्ण गतिविधियों का विवरण शासन के समक्ष रख रहा है। पिछड़ा वर्ग आयोग अपने मूल उद्देश्य के प्रति सदैव सजग है एवं शासन द्वारा मार्गदर्शित समस्त बिन्दुओं के परिपालन हेतु कटिबद्ध है।

सादर सहित

भवदीय

एच.के. सिंह उइके

कार्यालय
छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग
रायपुर छ0ग0

21–सी, रवि नगर , कलेक्टोरेट के पिछे , रायपुर (छ0ग0) फोन नं. 0771–2420352

क्रमांक / 1667 / पि.व.आ / 2009–10

रायपुर दि.13.08.2009

// संशोधन सूचना / /

सर्व संबंधितों को अवगत कराया जाता है कि छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्ष 2008–09 के द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन एवं अधिनियम में पिछड़ा वर्ग के जातियों के सूची के अनुक्रमांक 90 में त्रुटिवश 'विश्नोई' , 'जाट' लिखा गया है । अनुक्रमांक 90 पर 'भूलिया भोलिया' शामिल पढ़ा जावे।

मुस्लिम धर्मावलाम्बियों के अनुक्रमांक 87 में उपअनुक्रमांक 1 से 38 तक मध्यप्रदेश राज्य के पिछड़ा वर्ग की जातियॉ शामिल है। सूची में उपअनुक्रमांक 1 से 26 तक ही पढ़ा जावे एवं अनुक्रमांक 87 में शेष उपअनुक्रमांक 27 से 38 तक की जातियॉ मुद्रण त्रुटिवश लिखी गई है ।

छत्तीसगढ़ राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में अनुक्रमांक 1 पर 'गोपाल' जाति त्रुटिवश लिखा गया है। अतः अनुक्रमांक 1 पर अंकित 'गोपाल' जाति अनुक्रमांक 87 के उपअनुक्रमांक 27 से 38 एवं अनुक्रमांक 90 पर 'विश्नोई' ,'जाट' का छ0ग के पिछड़ा वर्ग की जाति की सूची से विलोपित किया जाता है।

सचिव
छ0ग0 राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग
रायपुर (छ0ग0)

पृष्ठ क / 1667 / पि.व.आ. / 2009–10

रायपुर दि.13.08.2009

प्रतिलिपि :–

1. सचिव , माननीय मुख्यमंत्री , छत्तीसगढ़ शासन दाउ कल्याण सिंह भवन , मंत्रालय रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. निज सचिव , माननीय मंत्री जी छ0ग0 शासन आदिम जाति , अनु. जाति पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग , रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग डी.के.एस. भवन, मंत्रालय रायपुर की ओर सूचनार्थ ।
4. सचिव, आदिम जाति अनुसूचित पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक विकास विभाग सूचनार्थ।
5. आयुक्त आदिम जाति. अनु.जाति., पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक विकास विभाग , छत्तीसगढ़ रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित ।
6. स्टाफ अधिकारी मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन मंत्रालय डी.के.एस. भवन रायपुर छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।
7. संचालक आदिम जाति, तथा अनुसूचित जाति प्रशिक्षण संस्थान, पं. दीनदयाल उपाध्यायनगर , सेक्टर –4 , पी.एम.टी. हॉस्टल के पास रायपुर (छ0ग0) को सूचनार्थ।

– sd –
सचिव
छ0ग0 राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग
रायपुर (छ0ग0)

छत्तीसगढ़
राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग
रायपुर

द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन

जुलाई 2008 से जुलाई 2009 तक

21, रविनगर, कलेक्ट्रोट के पीछे, रायपुर (छत्तीसगढ़)
फोन : 0771- 2420352

अनुक्रमणिका

क्र.	अध्याय	पृ.क्र.
01.	पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन	13-13
02.	क्यों जरूरी है पिछड़ा वर्ग आयोग	14-14
03.	पिछड़ा वर्ग आयोग सेटअप	15-17
04.	पिछड़ा वर्ग आयोग का अधिनियम 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ 2. परिभाषाएं 3. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन। 4. अध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि तथा सेवा शर्तें। 5. आयोग के अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी। 6. वेतन तथा भत्तों का भुगतान अनुदानों में से किया जाएगा। 7. रिक्तियों आदि के कारण आयोग की कार्यवाहियां अविधिमान्य नहीं होगी। 8. प्रक्रिया का आयोग द्वारा विनियमित किया जाना। 9. आयोग के कृत्य। 10. आयोग की शक्तियाँ। 11. राज्य सरकार द्वारा सूचियों का नियतकालिक पुनरीक्षण 12. राज्य सरकार द्वारा अनुदान 13. लेखा तथा संपरीक्षा। 14. वार्षिक रिपोर्ट। 15. वार्षिक रिपोर्ट और संपरीक्षा रिपोर्ट का विधानसभा के समक्ष रखा जाना। 16. आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी लोक सेवक होंगे। 17. सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण 18. नियम बनाने की शक्ति। 19. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। 20. निरसन तथा व्यावृत्ति।	18-29
05.	अधिनियम की धारा 9 (घ) के तहत प्रदेश की जातियों को सूची में शामिल करने का सुझाव 1. कुन्बी 2. गोसाई 3. गुरिया 4. मौवार	30-35
06.	राज्य शासन द्वारा घोषित पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित जातियों की सूची ✡ जाति संबंधी प्राप्त आवेदनों की सूची	36-52

क्र.	अध्याय/विषय	पृ.क्र.
	A - पिछड़ा वर्ग में शामिल जाति की सूची B - पिछड़ा वर्ग में अनुशंसित जाति की सूची C - पिछड़ा वर्ग में अनुसंधान हेतु जाति की सूची D - पिछड़ा वर्ग में खारिज की गयी जाति की सूची	
07.	क्रीमीलेयर बाबत् शासन के निर्देश ✡ अन्य पिछड़े वर्गो (OBC) के उम्मीदवारों को जारी किए जाने वाले प्रमाण-पत्र ''क्रीमीलेयर'' के संबंध में निर्धारित मापदण्ड में संशोधन	53-61
08.	जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में शासन के निर्देश	62-63
09.	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने वचन दिया है कि सभी मागों एवं दावो की पूर्ति सुनिश्चित करेंगे	64-67
10.	राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की कार्यवाही	68-77
11.	छत्तीसगढ़ राज्य में पिछड़ा वर्ग के सर्वेक्षण के लिए उठाये गए कदम	78-79
12.	छत्तीसगढ़ राज्य में पिछड़ा वर्ग के विकास हेतु संचालित योजनाएं 1. राज्य छात्रवृत्ति :– 2. पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति :– 3. प्रावीण्य छात्रवृत्ति 4. निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का प्रदाय 5. पिछड़ा वर्ग छात्रावास 6. हाईस्कूल की बालिकाओं को सायकल प्रदाय :– 7. नाई पेटी का प्रदाय :– 8. दामाखेड़ा का समन्वित विकास योजना :– 9. पायलट प्रशिक्षण योजना :– 10.रोजगार मूलक योजनाएं :–	80-82 :–
13.	पिछड़ा वर्ग आयोग को प्रेषित की जाने वाली पूरक जानकारी हेतु प्रपत्र	83-84
14.	छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को प्राप्त जाति संबंधी आवेदनों पर कार्यवाही	85-87
15.	छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को प्राप्त शिकायत पर आयोग के द्वारा कृत कार्यवाही	88-89
16.	छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की वार्षिक गतिविधियों की एक झलक छायाचित्रों में	90-95
17.	अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत आयोग का वित्तीय लेखा-जोखा	96-98

अध्याय - 01

पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन

19 अगस्त, 1980 को केन्द्र सरकार द्वारा गठित पिछड़ा वर्ग आयोग (मंडल आयोग) ने अविभाजित मध्यप्रदेश के पिछड़े वर्ग की दशा का अध्ययन करने के लिए दौरा किया था। आयोग के अध्यक्ष बी.पी. मंडल ने प्रदेश की अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के अलावा शैक्षणिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई जातियों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। उनका कहना था कि प्रदेश में पिछड़े वर्ग की दशा अत्यन्त दयनीय है। देश की अधिकांश राज्य सरकारों ने अपने–अपने प्रदेश के पिछड़े वर्ग के उत्थान तथा कल्याण का कार्य काफी पहले प्रारंभ कर दिया है, किन्तु प्रदेश में अभी तक इस दिशा में कोई कार्य नहीं किया गया है। तब तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने आश्वासन दिया कि मध्यप्रदेश में भी पिछड़े वर्ग की दशा सुधारने हेतु तत्काल कदम उठाये जायेंगे। 1980 में ही विधानसभा के वर्षाकालीन सत्र में प्रदेश के पिछड़े वर्ग के उत्थान के उपाय सुझाने हेतु एक समिति श्री रामजी महाजन, विधायक की अध्यक्षता में गठित करने की घोषणा की गई। 5 सितम्बर 1980 को समिति के स्थान पर आयोग के गठन का आदेश दिया गया। आयोग के प्रथम अध्यक्ष श्री रामजी महाजन जी थे। उनके अतिरिक्त नौ सदस्य भी बनाये गये।

1 नवम्बर 2000 को छत्तीसगढ़ नया राज्य अस्तित्व में आया। श्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में यह राज्य मध्यप्रदेश को बांटकर बनाया गया। श्री अजीत जोगी इस राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने। नवम्बर 2004 में छत्तीसगढ़ विधानसभा के चुनाव हुए। जिसमें भाजपा को विजयश्री मिली और मान. डॉ. रमन सिंह मुख्यमंत्री बने। अन्य पिछड़ा वर्ग के हितैषी डॉ. रमन सिंह ने अपने शासन काल के चौथे वर्ष जनवरी 2007 में छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया।

नव सृजित छत्तीसगढ़ में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने के पीछे भाजपा शासित इस प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद की भावना अन्य पिछड़ा वर्ग का उत्थान और कल्याण करने की थी। वर्तमान में आयोग इन्हीं उद्देश्यों को लेकर निरन्तर कार्यरत है। आयोग के गठन के बाद छत्तीसगढ राज्य विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री नारायण चंदेल आयोग के प्रथम अध्यक्ष और श्री लोचन पटेल, सदस्य बनाए गए। 28 फरवरी 2008 को एक और शासनादेश जारी कर पांच और सदस्य बनाए गए। इनमें डॉ. गणेश सिंह कौशिक, श्री नन्द कुमार साहू, श्री देवेन्द्र जायसवाल, डॉ. सोमनाथ यादव और श्री प्रहलाद रजक, शामिल हैं।

अध्याय - 02

क्यों जरूरी है पिछड़ा वर्ग आयोग

सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक कारणों से उपेक्षित और विकास की दौड़ में पिछड़ गये कमजोर लोगों के उत्थान तथा न्यायसम्मत, समतामूलक और बंधुत्वपूर्ण समाज की स्थापना के लिए भारतीय संविधान के निर्माता डॉ. बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में विशेष प्रावधान किए। इसी कड़ी में कमजोर वर्ग के रूप में चिन्हित हैं। अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और अन्य पिछड़े वर्ग अनुसूचित जातियों और जनजातियों को संविधान में सूचीबद्ध किया गया है। उनके उत्थान तथा कल्याण के लिए जरूरी व्यवस्था की गई। संविधान के अनुच्छेद 340 (1) के तहत यह व्यवस्था की गई कि पिछड़े वर्ग को परिभाषित किया जाए तथा राष्ट्रपति आयोग गठित करें और इस आयोग की सिफारिशों के अनुसार पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए कदम उठाए जाएं।

इसी अनुच्छेद के तहत 21 जनवरी 1983 को प्रसिद्ध समाज सेवक काका साहब कालेलकर की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय पहला पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया। इस आयोग ने पूरे देश की लगभग 2300 जातियों को पिछड़े वर्ग में शामिल करने के लिए सूची तैयार की। इस सिलसिले में अनेक राज्य सरकारों ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया और आयोग की सिफारिशों के अनुरूप इस वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए कदम उठाए। इस प्रकार उन्हें शिक्षा में सुविधाएं और नौकरियों में आरक्षण देने की शुरूआत हुई।

अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के शैक्षणिक उत्थान के लिए उच्च शिक्षण संस्थाओं जैसे मेडिकल व इन्जीनियरिंग कालेजों आदि में सीटों के आरक्षण एवं शासकीय नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था छत्तीसगढ़ में की गई है। इस वर्ग के पारम्परिक व्यवसाय व धंधों को पुनर्जीवित करने हेतु आवश्यक उपाय भी किये गये हैं। वैसे यह वर्ग सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक शोषण का शिकार रहा है तथा सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ापन से अभी भी ग्रस्त है।

प्रदेश के पिछड़े वर्ग की जनता को उसका संवैधानिक अधिकार मिले तथा उसका उत्थान हो और वह भी राष्ट्र की मुख्यधारा में शामिल हो सके इन्हीं उद्देश्य को लेकर इस आयोग के गठन की आवश्यकता महसूस की गई। छत्तीसगढ़ के पिछड़े वर्ग के लोगों की आकांक्षा को पूरा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने पिछड़ा वर्ग आयोग गठित कर अपने संवैधानिक तथा मानवीय कर्तव्य का पालन किया है।

अध्याय - 03

पिछड़ा वर्ग आयोग सेटअप

वित्त निर्देश- 37/2005

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय- रायपुर

क्रमांक 396/469/वित्त/नियम/चार/ 2005, रायपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2005

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त जिलाध्यक्ष
छत्तीसगढ़ ।

विषय :- राज्य शासन के मंडल/ आयोग के अध्यक्ष/ सदस्यों को देय की सुविधाओं के संबंध में ।

संदर्भ :- वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक-

1. 477/337/वित्त/नियम/चार/2002, दिनांक 16.09.2002
2. 13/192/वित्त/नियम/चार/2003, दिनांक 08.01.2002
3. 36/797/वित्त/नियम/चार/2003, दिनांक 15.01.2003
4. 858/सी-884/वित्त/नियम/चार/2004, दिनांक 21.092004

विषयान्तर्गत राज्य शासन के संदर्भित ज्ञापनों द्वारा राज्य के विभिन्न आयोग/सार्वजनिक उपक्रम /मण्डल/प्राधिकरण/ स्वायत्तशासी संस्थाओं में पदस्थ अशासकीय अध्यक्षों / सदस्यों के वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधाओं के सम्बन्ध में निर्देश जारी किये गये है ।

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि उक्त ज्ञापनों को अधिक्रमित करते हुए राज्य के विभिन्न आयोग/ सार्वजनिक उपक्रम/ मण्डल/प्राधिकरण/स्वायत्तशासी संस्थाओं के अध्यक्ष एवं सदस्यों को निम्नानुसार वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधाएं स्वीकृत की जाए :-

क्र.	देय सुविधा का प्रकार	अध्यक्ष को सुविधा	सदस्य को सुविधा
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	वेतन	1500	1500
2.	दैनिक भत्ते	600	400
3.	यात्रा दैनिक भत्ता- राज्य के भीतर	प्रथम श्रेणी अधिकारियों के समान	प्रथम श्रेणी अधिकारियों के समान
	राज्य के बाहर	प्रथम श्रेणी अधिकारियों के समान	प्रथम श्रेणी अधिकारियों के समान

क्र.	देय सुविधा का प्रकार	अध्यक्ष को सुविधा	सदस्य को सुविधा
(1)	(2)	(3)	(4)
4.	वाहन	एक	-
5.	वाहन चालक	एक	-
6.	पेट्रोल सीमा- शासकीय वाहन स्वयं का वाहन	150 लीटर 200 लीटर	 150 लीटर
7.	यात्रा सुविधा	वायुयान एवं ए. सी. प्रथम श्रेणी	वायुयान एवं ए. सी. प्रथम श्रेणी
8.	चिकित्सा सुविधा	विधायक होने की स्थिति में विधायक को अनुज्ञेय अथवा अखिल भारतीय सेवा के अनुज्ञेय	विधायक होने की स्थिति में विधायक को अनुज्ञेय अथवा अखिल भारतीय सेवा के अनुज्ञेय
9.	निजी स्टाफ	निज सचिव- एक सहायक ग्रेड -तीन- एक भृत्य - दो	निज सहायक - एक भृत्य - दो
10.	दूरभाष	कार्यालय - एक निवास - एक	कार्यालय - एक निवास - एक
11.	दूरभाष व्यय सीमा	कार्यालय - 5000 प्र. मा. निवास - 3000 प्र. मा.	कार्यालय - 1500 प्र. मा. निवास - 750 प्र. मा.
12.	किराये के आवास की सुविधा	बी टाइप प्लिंथ एरिया के समान कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर से	सी टाइप प्लिंथ एरिया के समान कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर से

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सतीश पाण्डेय)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृष्ठा.क्रमांक /397 /469/वि.नि.4/2005 रायपुर, दिनांक 27/09/2005

प्रतिलिपि,

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. राज्यपाल सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
3. प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर
4. मान. मुख्यमंत्री के सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर
5. विशेष सहायक मान. मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग
6. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, छत्तीसगढ़ शासन
7. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, रायपुर
8. आयुक्त, जनसंपर्क, छत्तीसगढ़, रायपुर
9. आयुक्त, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर
10. संचालक, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास, छत्तीसगढ़ , रायपुर
11. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर
12. निर्वाचन आयोग, रायपुर, छत्तीसगढ़
13. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, रायपुर
14. महालेखाकार, छ.ग. रायपुर
15. समस्त सचिव, विशेष सचिव/सयुक्त सचिव/ उपसचिव/ अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग मंत्रालय, रायपुर
16. संबंधित ----------
17. उपसंचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, चिखली, राजनाँदगाँव की ओर अग्रेषित, कृपया अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित करने का कष्ट करें .

एस.के. चक्रवर्ती
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

अध्याय - 04

पिछड़ा वर्ग आयोग का अधिनियम

सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

(क्रमांक 216) रायपुर, सोमवार, दिनांक 2 सितंबर 2002- भाद्र 11 शक 1924

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग,
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर, छत्तीसगढ़

रायपुर, दिनांक 2 सितंबर 2002

अधिसूचना

क्रमांक डी-4490/479/2002/आजावि- इस विभाग की अधिसूचना डी अधिसूचना क्रमांक डी- 4226/479/2002/आजावि., दिनांक 16 अगस्त 2002 को अतिष्ठित करते हुए एवं मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्रमांक 28 सन् 2000 धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात -

1. (एक) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विधियों का अनुकूलन आदेश 2002 है।
   (दो) यह 1 नवंबर, 2000 के प्रथम दिन से संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त होगी।
2. समय-समय पर यथा संशोधित ऐसी विधियाँ, जो इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं और जो छत्तीसगढ़ राज्य की संरचना के अव्यवहित पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में थीं, एतद् द्वारा तब तक विस्तारित तथा प्रवृत्त रहेंगी जब तक कि वे निरसित या संशोधित न कर दी जाएं। उपान्तरणों के अध्यधीन रहते हुए समस्त विधियों में शब्द ''मध्यप्रदेश'' जहाँ कहीं भी आए हों के स्थानांतरण शब्द ''छत्तीसगढ़'' एवं शब्द ''भोपाल'' जहां कहीं भी आए हों, के स्थान पर शब्द ''रायपुर'' स्थापित किए जाए।
3. अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कोई भी बात या की गई कार्यवाही (किसी नियुक्ति अधिसूचना, सूचना, आदेश, प्रारुप, विनियम, प्रमाण-पत्र अनुज्ञप्ति को सम्मिलित करते हुए) छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार प्रवृत्त रहेगी।

अनुसूची

अनुक्रमांक	विधियों का नाम
(1)	(2)
1.	मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम 1995
2.	मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम 1997
3.	मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति अधिनियम 1995
4.	मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित आयोग द्वारा और सदस्यों के वेतन भत्ते तथा सेवा शर्तों के नियम-1997
5.	मध्यप्रदेश आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) नियम 2000
6.	मध्यप्रदेश आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) नियम 2000
7.	वक्फ अधिनियम 1995
8.	मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग अधिनियम 1995
9.	मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1996
10.	मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग (प्रक्रिया) विनियम 1996

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
ए. के. द्विवेदी
संयुक्त सचिव

रायपुर दिनांक 2 सितंबर 2002

क्रमांक डी-4491/479/2002/आजवि. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी- 4490/479/2002/आ. दिनांक 7 सितंबर, 2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के अधिकार के एतद् द्वारा प्रकाशित किया जा रहा हैं।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
ए. के. द्विवेदी
संयुक्त सचिव

सत्यमेव जयते

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

(क्रमांक 291) भोपाल, गुरुवार, दिनांक 29 जून 1995- आषाढ़ 8, शके 1971

विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 29 जून 1995

क्रमांक 7150 - इबकीरा - अ (प्रा)- मध्यप्रदेश विधानसभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 24 मई, 1995 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
टी.पी.एस. पिल्लई
अतिरिक्त सचिव

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक 26 सन् 1995
छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1995

विषय सूची

अध्याय-1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ
2. परिभाषाएं

अध्याय-2

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग

3. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन।
4. अध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि तथा सेवा शर्तें।
5. आयोग के अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी।
6. वेतन तथा भत्तों का भुगतान अनुदानों में से किया जाएगा।
7. रिक्तियों आदि के कारण आयोग की कार्यवाहियां अविधिमान्य नहीं होगी।
8. प्रक्रिया का आयोग द्वारा विनियमित किया जाना।

अध्याय-3

आयोग के कृत्य तथा शक्तियाँ

9. आयोग के कृत्य।
10. आयोग की शक्तियाँ।
11. राज्य सरकार द्वारा सूचियों का नियतकालिक पुनरीक्षण

अध्याय-4

वित्त, लेखा और संपरीक्षा

12. राज्य सरकार द्वारा अनुदान
13. लेखा तथा संपरीक्षा।
14. वार्षिक रिपोर्ट।
15. वार्षिक रिपोर्ट और संपरीक्षा रिपोर्ट का विधानसभा के समक्ष रखा जाना।

अध्याय -5

प्रकीर्ण

16. आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी लोक सेवक होंगे।
17. सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण
18. नियम बनाने की शक्ति।
19. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।
20. निरसन तथा व्यावृत्ति।

छत्तीसगढ़ अधिनियम
क्रमांक 26 सन् 1995
छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1995

(दिनांक 24 मई, 1995 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति ''छत्तीसगढ़ राजपत्र असाधारण)'' में दिनाँक 29 जून, 1995 को प्रथमबार प्रकाशित की गई)

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करने और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिये अधिनियम।

भारत गणराज्य के छियालीसवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रुप से यह अधिनियमित हो :-

अध्याय 1
प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1995 है।
2. इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य है।
3. यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करें।

2. परिभाषाएँ

इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) ''पिछड़े वर्गों'' से अभिप्रेत है अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से भिन्न- नागरिकों के ऐसे पिछड़े वर्ग जो कि राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-85 पच्चीस 4-84, तारीख 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा विनिर्दिष्ट किये गये हैं,

(ख) ''आयोग'' से अभिप्रेत है धारा 3 के अधीन गठित छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग,

(ग) ''सूची'' से अभिप्रेत है पिछड़े वर्गों की सूची जिसे राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-85 पच्चीस 4-84, तारीख 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा तैयार किया गया हैं।

(घ) ''सदस्य'' से अभिप्रेत है आयोग का सदस्य तथा इसमें अध्यक्ष (चेयरपर्सन) सम्मिलित हैं।

अध्याय-2

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग

3. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन

1. राज्य सरकार एक निकाय का गठन करेगी जो ''छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग'' के नाम से ज्ञात होगा और जो इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और सौपे गये कृत्यों का पालन करेगा।.
2. आयोग में निम्नलिखित सदस्य होंगे।

(क) तीन अशासकीय सदस्य जो पिछड़े वर्गों से संबंधित मामलों में विशेष ज्ञान रखते हों जिनमें से एक अध्यक्ष (चेयरपर्सन) होगा जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। (टीप- सदस्य संख्या संशोधन सम्बन्धित नवीन अधिसूचना 28 फरवरी 2008 का विवरण आगामी पृष्ठों में उल्लेखित)

(ख) संचालक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, छत्तीसगढ़

4. अध्यक्ष एवं सदस्यों की पदावधि तथा सेवा शर्तें

1. आयोग का प्रत्येक अशासकीय सदस्य, उस तारीख से, जिसको कि वह अपना पद ग्रहण करता है तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा।
2. कोई सदस्य किसी भी समय राज्य सरकार को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा यथास्थिति अध्यक्ष या सदस्य का पद त्याग सकेगा।
3. राज्य सरकार, सदस्य के पद से किसी व्यक्ति को हटा देगी, यदि वह व्यक्ति

(क) अनुन्मोचित दिवालिया हो जाता है ;

(ख) किसी ऐसे अपराध के लिये, जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अद्यमता अन्तर्वलित है, दोष सिद्ध हो जाता है और कारावास से दंडादिष्ट किया जाता है ;

(ग) विकृतचित हो जाता है और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया जाता है ;

(घ) कार्य करने से इंकार करता है या कार्य करने में असमर्थ हो जाता है ;

(ङ) आयोग से अनुपस्थित रहने की अनुमति अभिप्राप्त किये बिना, आयोग के लगातार तीन सम्मिलनों से अनुपस्थित रहता है; या

(च) राज्य सरकार की राय में अध्यक्ष या सदस्य की हैसियत का ऐसा दुरुपयोग करता है जिससे कि उस व्यक्ति का पद पर बना रहना पिछड़ा वर्गों के हितों या लोकहित के लिये अपायकर हो गया है ; परन्तु किसी व्यक्ति को इस खण्ड के अधीन तब तक नही हटाया जाएगा जब तक कि उसे उस मामले में सुनवाई का अवसर नहीं दे दिया गया है।

(4) उपधारा (2) के अधीन या अन्यथा कारित रिक्ति को नया नाम निर्देशन करके भरा जाएगा तथा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट व्यक्ति अपने पूर्ववर्ती के पद की शेष अवधि तक पद धारण करेगा।

(5) अध्यक्ष तथा सदस्यों को देय वेतन और भत्ते और सेवा संबंधी अन्य निबंधन तथा शर्ते ऐसी होंगी जैसा कि विहित किया जाए।

5. आयोग के अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी

1. राज्य सरकार आयोग का एक सचिव नियुक्त करेगी तथा ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की व्यवस्था करेगी जो कि आयोग के कृत्यों के दक्षतापूर्ण पालन के लिये आवश्यक है।
2. आयोग के प्रयोजन के लिए नियुक्त किये गये अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को देय वेतन तथा भत्ते और सेवा संबंधी अन्य निबंधन तथा शर्तें ऐसी होंगी जैसा कि विहित किया जाए।

6. वेतन तथा भत्तों का भुगतान अनुदानों में से किया जाएगा

अध्यक्ष तथा सदस्यों को देय वेतन तथा भत्तों और प्रशासनिक व्ययों, जिसके अंतर्गत धारा 5 में निर्दिष्ट सचिव अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को देय वेतन ,भत्ते तथा पेंशन है, का भुगतान धारा 12 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों में से किया जाएगा।

7. रिक्तियों आदि के कारण आयोग की कार्यवाहियां अविधिमान्य नहीं होगी -

आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही, केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी कि आयोग में कोई रिक्ति विद्यमान है या आयोग के गठन में कोई त्रुटि है।

8. प्रक्रिया को आयोग द्वारा विनियमित किया जाना -

1. आयोग जब और जितनी बार भी आवश्यक हो, अपना सम्मिलन ऐसे समय तथा स्थान पर करेगा जैसा कि अध्यक्ष उचित समझे।
2. आयोग स्वयं अपनी प्रक्रिया विनियमित करेगा।
3. आयोग के समस्त आदेश और विनिश्चय सचिव द्वारा या सचिव द्वारा इस निमित्त सम्यक रुप से प्राधिकृत आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएंगे।

अध्याय-3

आयोग के कृत्य तथा शक्तियां

9. आयोग का यह कृत्य होगा कि वह :-

1. (क) पिछड़े वर्गों के सदस्यों को संविधान के अधीन तथा तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के अधीन दिये गये संरक्षण के लिये हितप्रहरी आयोग के रुप में कार्य करें ;

(ख) पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए बने कार्यक्रमों के समुचित तथा यथा समय कार्यान्वयन की निगरानी करे तथा राज्य सरकार अथवा किसी अन्य निकाय या प्राधिकरण के कार्यक्रमों के संबंध में, जो ऐसे कार्यक्रमों के लिए जिम्मेदार है, सुधार हेतु सुझाव दें ;

(ग) लोक सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिये पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण के संबंध में सलाह दें ;

(घ) पदों पर नियुक्तियों के आरक्षण का उपबंध करने के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर तैयार की गई सूचियों में किसी भी नागरिक को पिछड़ा वर्ग के रुप में सम्मिलित करने की प्रार्थनाओं का परीक्षण करना और ऐसी सूचियों में किसी पिछड़े वर्ग को पात्र न होने पर भी सम्मिलित करने या पात्र होने पर भी सम्मिलित न करने की शिकायतों को सुने और राज्य सरकार को ऐसी सलाह दे जैसी कि वह उचित समझे ;

(ङ) पिछड़े वर्ग में, सम्पन्न वर्ग (क्रीमीलेयर) के अन्तर्गत आने वाले व्यक्ति या समूह के प्रवर्ग सुनिश्चित करें ;

(च) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करें जो राज्य सरकार द्वारा उसे सौपे जाए।

2. आयोग की सलाह साधारणतः राज्य सरकार पर आबद्धकर होगी तथापि जहाँ सरकार सलाह को स्वीकार नहीं करती है वहां वह उसके लिये कारण अभिलिखित करेगी।

10. आयोग की शक्तियाँ

1. आयोग की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन अपने कृत्यों का पालन करते समय और विशिष्टतया निम्नलिखित विषयों की बाबत् किसी वाद का विचारण करने वाले किसी सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ होंगी, अर्थात् :-

(क) राज्य के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना।

(ख) किसी दस्तावेज को प्रकट करने और पेश करने की अपेक्षा करना।

(ग) शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना।

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि की अध्यपेक्षा करना।

(ङ) साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिये कमीशन निकालना, और

(च) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए।

11. राज्य सरकार द्वारा सूचियों का नियतकालिक पुनरीक्षण

1. राज्य सरकार पिछड़े वर्गों की ऐसी सूची में से उन वर्गों के नाम अपवर्जित करने के उद्देश्य से जो पिछड़े वर्ग के नहीं रह गये हैं या ऐसी सूची में नये पिछड़े वर्गों को सम्मिलित करने के उद्देश्य से किसी भी समय पुनरीक्षण का कार्य हाथ में ले सकेगी और इस अधिनियम के प्रवृत्त होने से दस वर्ष की समाप्ति पर तथा उसके पश्चात् की दस वर्ष की प्रत्येक पश्चात्वर्ती कालावधि की समाप्ति पर ऐसे पुनरीक्षण का कार्य हाथ में लेगी।
2. राज्य सरकार, उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी पुनरीक्षण का कार्य हाथ में लेते समय, आयोग से परामर्श करेगी।

अध्याय-4

वित्त, लेखा और संपरीक्षा

12. राज्य सरकार द्वारा अनुदान

1. राज्य सरकार, विधानसभा द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक विनियोग के पश्चात् आयोग को अनुदानों के रुप में ऐसी धनराशियों का संदाय करेगी जैसा कि राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाई जाने के लिये उचित समझे।
2. आयोग इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए जितनी राशि उचित समझे उतनी राशि का व्यय कर सकेगा और ऐसी धनराशि को उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों में से सदैव व्यय के रुप में माना जाएगा।

13. लेखा तथा संपरीक्षा

1. आयोग समुचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा तथा लेखाओं का एक वार्षिक विवरण ऐसे प्रारुप में तैयार करेगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा, विहित किया जाए।
2. आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा, महालेखाकार, छत्तीसगढ़ द्वारा ऐसे अन्तरालों पर की जाएगी जो कि उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उपगत कोई भी व्यय आयोग द्वारा महालेखाकार को संदेय होगा

14. वार्षिक रिपोर्ट

1. आयोग, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये ऐसे प्रारुप में तथा ऐसे समय पर जो कि विहित किया जाए, अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान उसके कार्यकलापों का संपूर्ण विवरण दिया जाएगा और उसकी एक प्रति राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।

15. वार्षिक रिपोर्ट और संपरीक्षा का विधानसभा के समक्ष रखा जाना

1. राज्य सरकार, वार्षिक रिपोर्ट को ओर उसके साथ आयोग द्वारा धारा 9 तथा 11 के अधीन दी गई सलाह पर की गई कार्यवाही और यदि ऐसी किसी सलाह को स्वीकार नहीं किया गया है तो ऐसे अस्वीकार किये जाने के कारणों का यदि कोई हो, एक ज्ञापन और संपरीक्षा रिपोर्ट को ऐसी रिपोर्ट के प्राप्त होने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, विधानसभा के समक्ष रखवाएगी।

अध्याय-5
प्रकीर्ण

16. आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी लोक सेवक होंगे

1. आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी भारतीय दण्ड संहिता 1860 (1860 का सं. 45) की धारा 21 के अर्थ के अंतर्गत लोक सेवक समझे।

17. सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण

1. इस अधिनियम के अधीन सद्भावनापूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिये कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही आयोग के किसी सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होगी।

18. नियम बनाने की शक्ति

1. राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी।
2. विशिष्टतया तथा पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त विषयों या उसमें से किसी विषय के लिये उपबंध हो सकेंगे, अर्थात,

(क) धारा की उपधारा (5) के अधीन अध्यक्ष और सदस्यों तथा धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन तथा भत्ते और सेवा संबंधी अन्य निबंधन तथा शर्तें।

(ख) धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन वह प्रारुप जिसमें लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार किया जाएगा।

(ग) धारा 14 के अधीन वह प्रारुप जिसमें तथा वह समय जिसके भीतर वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जाएगी।

(घ) कोई अन्य विषय जिसका विहित किया जाना अपेक्षित है या जो विहित किया जाए।

3. इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम उसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र विधान सभा के पटल पर रखा जाएगा।

19. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति

1. यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो। परंतु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से दो वर्ष की कालावधि को समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।
2. इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा।

20. विघटन तथा व्यावृत्ति

1. अधिसूचना क्रमांक एफ-12-21- पच्चीस-4-92, तारीख 13 मार्च 1993 द्वारा गठित किया गया छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग आयोग, धारा 3 के अधीन आयोग का गठन होने पर विघटित हो जायेगा।
2. ऐसे विघटन के होते हुए भी उक्त आयोग द्वारा की गई किसी भी बात या कार्यवाही या उसकी सिफारिश के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा की गई किसी बात या कार्यवाही के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से आदेशानुसार,

छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग,
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर
-//अधिसूचना//-

रायपुर, दिनांक 28 फरवरी, 2008

क्रमांक /1629/25-2/आजावि/2008 : राज्य शासन, एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1995 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए निम्नानुसार छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में सदस्यों को नियुक्त करता है :

क्र.	नाम/ स्थान	पद
(1)	डॉ. गणेश कौशिक, रायपुर	सदस्य
(2)	श्री देवेन्द्र जयसवाल, दुर्ग	सदस्य
(3)	श्री प्रहलाद रजक, बेमेतरा	सदस्य
(4)	श्री सोमनाथ यादव, बिलासपुर	सदस्य
(5)	श्री नंदकुमार साहू, रायपुर	सदस्य

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(डॉ. अनिल चौधरी)
उपसचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
रायपुर, दिनांक 28 फरवरी, 2008

पृ. क्रमांक /1630/25-2/आजावि/2008

प्रतिलिपि,

1. महामहिम राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा, रायपुर
3. मान. मुख्यमंत्री के सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर
4. निज सचिव, मान. मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग
5. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, छत्तीसगढ़ शासन
6. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, रायपुर
7. आयुक्त, जनसंपर्क, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. संचालक, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास, छत्तीसगढ़ , रायपुर
9. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, रायपुर
10. संबंधित ----------
11. उपसंचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, चिखली, राजनाँदगाँव की ओर अग्रेषित, कृपया अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित करने का कष्ट करें .
12. आर्डर बुक

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन

अध्याय - 05

अधिनियम की धारा 9 (घ) के तहत प्रदेश की जातियों को सूची में शामिल करने का सुझाव

1. कुन्बी जाति को पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल करने बाबत् अनुशंसा

परिचयः-

छत्तीसगढ़ में ग्राम मद्देड तह. भोपालपट्टनम जिला-बीजापुर के जनप्रतिनिधियों ने श्री राजाराम, सदस्य, अनु.जनजाति आयोग रायपुर को प्रत्यक्ष भेंट करके "कुन्बी" जाति को पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया था। जनजाति आयोग से यह पत्र पिछड़ा वर्ग आयोग को भेजा गया।

छत्तीसगढ़ राज्य में मध्यप्रदेश राज्य की पिछड़ा वर्ग की सूची ही वर्तमान में लागू है जिसमें "कुनबी" जाति को अनुक्रमांक 39 पर शामिल किया गया है।

छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में रहने वाले कुन्बी जाति के लोग मूलतः आंध्रप्रदेश से प्रवर्जित होकर छत्तीसगढ़ मे आये है इनका रहन-सहन, रीति रिवाज, संस्कार, वेशभुषा, गोत्र, शादी-विवाह, देवी-देवता, इत्यादि कुनबी जाति के समान ही है।

कुनबी जाति के प्रतिनिधियों ने रायपुर में 28.03.08 को आयोग कार्यालय में अध्यक्ष महोदय मान. श्री नारायण चंदेल जी एंव मान. सदस्यों के समीप उपस्थित होकर चर्चा की एवं अपनी समस्याये बतायीं कि उन्हें राज्य में मात्रात्मक त्रुटि के कारण (कुनबी को कुन्बी लिखने से) जाति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है एवं शासन से प्रदत्त सुविधायें भी नहीं मिल पा रही हैं।

आर्थिक/परमपरागत व्यवसाय की स्थिति – समाज आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है अधिकांश व्यक्ति कृषि व कृषि मजदूरी में लगे हुए है।

शिक्षा – शिक्षा को आर्थिक पिछड़ेपन व जागरूकता के अभाव में इस समाज के द्वारा महत्व नहीं दिया जाता है। अतः इस समाज मे माध्यमिक स्तर तक ही शिक्षित व्यक्तियों की संख्या अधिक है। हाई स्कूल स्तर तक केवल 2/8 व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर रहे है। उच्च शिक्षा प्रतिशत नहीं के बराबर हैं।

राजनैतिक स्थिति – ग्रामीणजनों द्वारा बताये अनुसार इनकी जाति का राजनैतिक प्रतिनिधित्व शून्य है जनपद पंचायतों में भी इनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है।

'कुन्बी" जाति को पिछड़े वर्ग की सूची क्र. 39 में कुरमी, कुरमार, कुनबी, के पश्चात् "कुन्बी" शब्द को मान्य किया जाना उचित होगा। क्योंकि यह मात्रात्मक व उच्चारण संबंधी व्याकरण त्रुटि है जो एक हल्का सा उच्चारण के अंतर के कारण है।

निष्कर्ष:–

1. प्राप्त जानकारी व प्रदत्त आंकड़ो के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में इनकी कुलजनसंख्या 30,000 के लगभग है।
2. कुन्बी जाति के लोग लगभग 100–200 वर्ष पूर्व आध्रप्रदेश से विस्थापित समाज हैं जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में निवासरत हैं।
3. इस जाति का रहन–सहन रीति रिवाज व संस्कार "कुनबी" जाति से मिलता जुलता हैं।
4. इस जाति की उत्पत्ति का कोई लिखित साहित्य नहीं है
5. राजनीति में इनका प्रतिनिधित्व शून्य है।
6. इस समाज के अधिकांश का मकान कच्चे व झोपड़ीनुमा है।
7. समाज के सामाजिक स्तर निम्न है व शिक्षा का स्तर सामान्य से भी कम है।

अनुशंसा: –

कुन्बी जाति के लोगों को पिछड़ा वर्ग में उपरोक्त विवरण के आधार पर पिछड़ा वर्ग की सूची में मात्रात्मक एंव उच्चारण सम्बंधी त्रुटि के कारण संशोधन कर मान्य करने की अनुशंसा आयोग द्वारा सर्वसम्मति से की जाती है। अतः छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रकाशित होने वाली अगामी सुची के क्रमांक 31 में "कुन्बी" शब्द भी कुनबी के बाद जोड़े जाने का सुझाव एतद् द्वारा दिया जाता हैं।

सचिव सदस्य सदस्य सदस्य

अध्यक्ष
छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग
रायपुर (छ.ग.)

2. गोसाई जाति को पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल करने बाबत् अनुशंसा

छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के उपरांत आदिम जाति तथा अनु. जाति अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर द्वारा गोसाई जाति के आवेदन पत्र की नस्ती छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को सौपी गई थी, जिसमें गोसाई जाति के आसनडीह जिला सरगुजा ब्रजेन्द्र गिरी द्वारा गोसाई जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल करने का आवेदन पत्र था जिसमें निवेदन किया गया था कि छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग की अनुसूची के अनुक्रमांक 27 पर गुसाई, गोस्वामी जाति के अतंर्गत गुसाई कोई जाति नहीं है उसके स्थान पर गोसाई जाति शामिल की जानी चाहिए।

उपरोक्त आवेदन पत्र का आयोग ने अपने स्तर से परीक्षण किया तथा यह पाया गया कि गोसाई जाति के लोग भिक्षावृत्ति एवं मंदिरो में मंहती करने का कार्य करते हैं। उनको शिक्षा में विशेष रूचि नहीं है क्योंकि ये लोग मंहताई पैतृक व्यवसाय के रूप में अपना लेते हैं जो सरल व केवल भाषा के ज्ञान के आधार पर ही की जा सकती है। इस जाति के लोग शाकाहार ग्रहण करते हैं इनके विचार सात्विक होते हैं। रीति रिवाज, रहन सहन, व विभिन्न संस्कार गोस्वामी जाति के समान ही होते हैं। सामाजिक व सांस्कृतिक स्तर पर भी वे पिछड़े हुए है। पर्दा प्रथा न होते हुए भी इनकी स्त्रियॉं श्वसुर व जेठ इत्यादि के समक्ष नहीं जाती हैं तथा ये स्त्रियॉं भी पूजा पाठ के कार्य में परिश्रम करती है स्त्रियों के साथ ही बच्चे भी शामिल रहते हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य में इस जाति के लोग वाड्रफनगर (सरगुजा) एवं बस्तर इत्यादि में निवासरत हैं।

मध्यप्रदेश राज्य हेतु केन्द्र सरकार द्वारा घोषित सूची में तथा मध्यप्रदेश राज्य सरकार की पिछड़ा वर्ग की सूची के अनुक्रमांक 27 को संशोधित करते हुए गुसाई, गोस्वामी जाति को शामिल किया गया है। केन्द्र द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में अनुक्रमांक 26 पर गोसाई जाति को गुसाई के उपरांत शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ में गोसाई जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची के क्र. 27 में ही गुसाई के उपरांत शामिल किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

चूंकि गोसाई जाति का शैक्षिक व सामाजिक स्तर पिछड़ा हुआ है, अतः छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग गोसाई जाति को अनुक्रमांक 27 पर संशोधित कर गुसाई, गोस्वामी के उपरांत गोसाई जाति को शामिल करने की अनुशंसा करता है।

सचिव सदस्य सदस्य सदस्य

अध्यक्ष
छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग
रायपुर (छ.ग.)

3. गुरिया जाति को पिछड़ा वर्ग में शामिल करने बाबत् अनुशंसा

श्री ललित कुमार साहू ग्राम व पोस्ट नवागढ़, जिला–महासमुंद के द्वारा गुरिया जाति को छत्तीसगढ़ की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में जोड़ने के लिए आवेदन प्राप्त हुआ जिस पर आयोग की पीठ ने सहृदयता पूर्वक विचार करते हुए इनके निवास एवं जिलों का भ्रमण किया। दिनांक 09.09.08 से 11.09.08 को सरायपाली, बसना, बरमकेला में निवासरत गुरिया जाति के समाज प्रमुखों से प्रत्यक्ष भेंट कर आयोग ने उनके सामाजिक रीति–रिवाज, शैक्षणिक स्तर इत्यादि की जॉच की एवं पाया कि इनका सामाजिक स्तर अत्यन्त पिछड़ा है एवं शैक्षणिक स्तर निम्न है।

गुरिया जाति पिछले लगभग 100 वर्षों से उड़ीसा से आकर छ.ग. के रायगढ़/महासमुंद जिले में निवासरत है। इस जाति को केन्द्र सरकार के उड़ीसा राज्य के केन्द्रीय सूची में अनुक्रमांक 49 में शामिल किया गया है। इनका व्यवसाय मुख्य रूप से समारोह इत्यादि में भोजन बनाना है। इस जाति का यह व्यवसाय परम्परा से चला आ रहा है ये मुख्य रूप से गुड का सामान बनाकर विक्रय करते है। उडीसा में इनके पूर्वज मंदिरो में गुड़ का सामान बना कर विक्रय करते थे। वर्तमान में गुड की मिठाईयों का चलन कम होने से शक्कर की मिठाई बना कर बाजार में विक्रय करते है।

नामकरण :– गुड़िया/गुरिया नाम गुड़ से बने मीठे खाद्य पदार्थ तैयार करने के कारण इन्हें गुड़िया एवं अपभ्रंश भाषा में गुरिया कहा जाता है। मुख्य रूप से इस जाति का व्यवसाय "हलवाई" का कार्य है। इस जाति के लोग छ.ग. में सरायपाली, बसना, सरिया, सारंगढ़, बरमकेला इत्यादि ग्रामीण अंचलों में निवास करते है। इनके अध्ययन के लिए आयोग के माननीय सदस्य श्री देवेन्द्र जायसवाल, सचिव श्री बद्रीश सुखदेवे, एवं लिपिक श्री उत्तरा कुमार पटेल के द्वारा नवागढ़, बारी गिरौला, बैतारी गांव में जाकर अध्ययन किया गया जिसमें पाया गया कि ये लोग ओ.बी.सी. में शामिल करने के योग्य है भ्रमण के दौरान क्षेत्रीय विधायक श्री त्रिलोचन पटेल से भेंट की गई उन्होंने भी इन्हें शामिल करने हेतु अनुशंसा की है मान. विधायक एवं पूर्व मंत्री शक्राजीत नायक श्री माधव सिंह ध्रुव मान. मंत्री आ.जा.क. ने भी इन्हे ओ.बी.सी. में शामिल करने की मांग/पहल की है।

ये लोग सराफ, शराफ, साहू, आदि सरनेम लिखते हैं इनमे नाग, भारद्वाज, नागस्य, मुदग्ल गोत्र प्रचलित है, ये भोरिया, कोलता रावत, के घर का कच्चा–पक्का भोजन स्वीकार करते है इनके प्रमुख आराध्य देव गणेश जी है। विवाह इत्यादि संस्कारों में पंडित, धोबी, नाई की आवश्यकता पड़ती है।

निष्कर्ष :–

1. आयोग के द्वारा गुरिया जाति का बैतारी, नवागढ़ बारीगिरौला ग्रामों निवासरत समाज के लोगों से भेंट की गई।
2. गुरिया समाज के गोत्र नाग,नगस्य, भारद्वाज, मुरदग्ल, है।
3. गुरिया जाति के वैवाहिक संबंध उडीसा, म.प्र व छ.ग. में होते हैं।

4. इनके आराध्य देव गणेश जी है तथा विवाह इत्यादि संस्कारों में पंडित की आवश्यकता होती है।
5. इस समाज में शिक्षा का स्तर निम्न है एवं पैतश्क व्यवसाय में कार्य करने के कारण साक्षरता का प्रतिशत भी औसत से कम है।
6. इनका परम्परागत व्यवसाय गुड़ से खाने की वस्तुऐ बना कर हाट बाजार में बेचना है कुछ लोग बर्तन बनाने का कार्य करते है तो कुछ चाट गुपचुप के ढेले लगाकर अपना जीवन–यापन करते है।
7. यह जाति शैक्षणिक व सामाजिक रूप से अत्यंत पिछड़े हुऐ है।
8. इस समाज के लोगों को गुड़ की खाद्यान्न वस्तुए बनाने के कारण गुड़िया एवं अपभ्रंश रूप में गुरिया कहा जाता है।

अनुशंसा :–

इनके समाज का राजनैतिक प्रतिनिधित्व शून्य प्रतिशत हैं एवं सरकारी नौकरी में 1 प्रतिशत से कम लोग कार्यरत है। इनका रहन–सहन, रीति–रिवाज व संस्कार भटियारा जाति से काफी मिलता–जुलता है अतः इन्हे भटियारा जाति के उपरांत "गुरिया" एवं गुड़िया नाम से शामिल किये जाने की अनुशंसा आयोग की बैठक में एतद् द्वारा की जाती है। अतः इन्हे ओ.बी.सी. की सूची क्रमांक 16 में शामिल किये जाने का सुझाव दिया जाता है

सचिव सदस्य सदस्य सदस्य

अध्यक्ष
छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग
रायपुर (छ.ग.)

4. मौवार जाति को पिछड़ा वर्ग में शामिल करने बाबत् अनुशंसा

छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को दिनांक 09.05.08 को मौवार जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग की छत्तीसगढ़ की सूची में शामिल करने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुआ। आवेदन पत्र में उल्लेख किया गया है कि मिसल बंदोबस्त, राजस्व अभिलेख एवं विद्यार्थियों की अंक सूची एवं स्थानांतरण प्रमाण पत्र में मौवार जाति का उल्लेख है, जबकि छत्तीसगढ़ की पिछड़ा वर्ग की सूची क्रमांक 60 में इस जाति को मोवार के नाम से शामिल किया गया है।

मौवार जाति के व्यक्तियों से चर्चा के उपरांत आयोग ने अपने स्तर पर परीक्षण किया तथा यह पाया की मौवार जाति के लोग पूर्व में जंगली जानवरों के शिकार का कार्य करते थे। शिक्षा के प्रचार–प्रसार से इस परम्परागत व्यवसाय से रूचि कम हुई है। वर्तमान में शासकीय प्रतिबंध के चलते उनके परम्परागत व्यवसाय पर प्रतिबंध लगा हैं इस जाति के लोगों का रीति–रिवाज, रहन–सहन व विभिन्न संस्कार मोवार जाति के समान होता है। सामाजिक तथा सांस्कृतिक स्तर पर वे लोग भी पिछड़े हुए है।

मौवार जाति के लोग रायगढ़ के सारंगढ़ विकासखण्ड में बहुतायत में निवासरत हैं। चूंकि मोवार जाति म.प्र. शासन द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में अनु. क्र. 60 पर अंकित हैं। चूंकि मोवार जाति के परम्परागत व्यवसाय एवं मौवार जाति का परम्परागत व्यवसाय एक ही है। मौवार जाति शैक्षणिक व सामाजिक स्तर प पिछड़ी हुई है, अतः छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग मौवार जाति को अनुक्रमांक 60 पर संशोधित कर मोवार के उपरांत मौवार जाति को शामिल करने की अनुशंसा करता है।

सचिव सदस्य सदस्य सदस्य

अध्यक्ष
छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग
रायपुर (छ.ग.)

अध्याय - 06

राज्य शासन द्वारा घोषित पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित जातियों की सूची

राज्य शासन द्वारा दिनांक 04/08/2003 तक किए गए संशोधनों का समावेश करके पिछड़े वर्ग की जाति /उपजाति /वर्ग यथा संशोधित सूची निम्नानुसार है -

सूची

क्र.	नाम जाति /उपजाति /वर्ग समूह	परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
	2	3	4
1.	अहीर, ब्रजवासी, गवली, गोली, जादव (यादव)बरगाही, बरगाह, ठेठवार, राउत, गोवारी, (ग्वारी) महाकुल गोवरा, गवारी, ग्वारा, गोवारी (राउत) महकुल, गोप, ग्वाली, लिंगायतगोपाल	पशुपालन व दूध विक्रेता का व्यवसाय करने वाली जाति पशुपालन	यादव, अहीर जाति की उपजाति के रूप में शामिल की गई है, अधिकांश अहीर व उसकी उपजातियां अपने को यादव कहती है वलिखती है, यादव राजपूत इसमें शामिल नही है।
2.	असारा, असाड़ा	कृषि कार्य	-
3.	वैरागी (वैष्णव)	धार्मिक भिक्षावृत्ति करने वाली जाति	वैष्णव को बैरागी की उपजाति के रूप में शामिल किया गया है, ब्राम्हण जाति के वैरागी शामिल नही किये गये है
4.	बंजारा, बंजारी, मथुरा, नायक, नायकड़ा,धरिया लभाना, लबाना, लामने	घुमक्कड़ बैलों को हांककर व्यवसाय करने वाली जाति	नायक को बंजारा जाति की उपजाति के रूप में सम्मिलित किया है, नायक ब्राम्हण शामिल नही है
5.	बरई, तमोली, तम्बोली, कुमावट, कुमावत, वारई, बरई (चौरसिया)	पान उत्पादक व विक्रेता	बरई तथा तमोली जाति के लोग अपने को चौरसिया कहते है
6.	बढ़ई, सुतार, दवेज, कुन्देर (विश्वकर्मा)	कृषि कार्य हेतु लकड़ी के औजार बनाना,लकड़ी का फर्नीचर तैयार करना	विश्वकर्मा को बढ़ई की उपजाति के रूप में सम्मिलित किया गया है

क्र.	नाम जाति /उपजाति /वर्ग समूह	परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
	2	3	4
7.	बारी	पत्तों से पत्तल बनाने वाली जाति	-
8.	वसुदेव, वसुदेवा, वासुदेव, वासुदेवा, हरबोला कापड़िया, कापड़ी, गोंधली, थारवार	विरूदावली गाना एवं बैल भैंसा का व्यापार करना व धार्मिक भिक्षावृत्ति	इस क्रमांक में वासुदेव जाति की सभी उपजातियों को शामिल किया गया है
9.	भड़भूंजा, भुंजवा, भुर्जी, धुरी या धूरी	चना, लाई, ज्वार इत्यादि खाद्यान्न का भाड़ में भूंजना	इसमें वैश्य जाति से अपने को संबद्ध करने वाली जाति शामिल नही है
10.	भाट, चारण, सुतिया, सालवी, राव, जनमालोंधी जसोंधी, मरुसोनिया	राजा के सम्मान में प्रशंसात्मक कविता पाठ व विरूदावली का गायन करना	-
11.	छीपा, भावसार, नीलगर, जीनगर, निराली रंगारी, मनधाव	कपड़ों में छपाई व रंगाई	-
12.	ढ़ीमर, भोई कहार, कहरा, धीवर/मल्लाह/नावड़ा तुरहा, केवट (कश्यप, निषाद, रायकवार, बाथम) कीर (भोपाल,रायसेन, सीहोर, जिलों को छोड़कर) ब्रितिया (वित्तिया) सिंगरहा, जालारी (जालारनलु बस्तर जिले में) सोधिंया	मछली पकड़ना,पालकी ढ़ोना घरेलू नौकरी करना, सिंघाड़ा व कमलगटआ उगाना, पानी भरना नाव चलाना	बाथम, कश्यप, रायकवार, भोई जाति की उपजातियां है। इसी रूप में सम्मिलित किया है। कीर जाति भोपाल, रायसेन, सीहोर जिलों में शामिल है, अनुसूचित जनजाति पायी जाती है
13.	पंवार, पोवार, भोयर, भोयार	कृषि एवं कृषि मजदूरी	इसमें पंवार/पवार राजपूत शामिल नही हैं।
14.	भुर्तिया, भुतिया	पशुपालन व दुग्ध व्यवसाय	-

क्र.	नाम जाति /उपजाति /वर्ग समूह	परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
	2	3	4
15.	भोपा, मानभाव	धार्मिक भिक्षावृत्ति	इस जाति का वह समुदाय जो गैर ब्राम्हण है। सूची में शामिल किया गया है।
16.	भटियारा	भट्टी लगाकर सार्वजनिक उपयोग के लिय खाद्य पदार्थ तैयार करना है	-
17.	चुनकर, चुनगर कुलवंधिया, राजगिर	चूना,गारा का कार्य करने व भवन निर्माण इत्यादि में कारीगरी का कार्य करना	-
18.	चितारी	दीवालों पर चित्रकारी करना	-
19.	दर्जी, छीपी,छिपी, शिपी,मावी, (नामदेव)	कपड़ा सिलाई करना	-
20.	धोबी (भोपाल, रायसेन, सीहोर जिलों को छोड़कर) बट्ठी, बरेठा, रजक	कपड़ा साफ करना	धोबी, भोपाल, रायसेन व सीहोर जिलें में अनुसूचित जाति में शामिल है।
21.	मीना (रावत) देशवाली, मेवाती, मीणा (विदिशा जिले की सिरोंज एवं लटेरी तहसील को छोड़कर)	कृषक	रावत, मीना जाति की उपजाति है, जो ब्राम्हण नहीं है। मीणा/मीना सिरोंज तहसील में अनुसूचित जन जाति में घोषित है।
22.	किरार, किराड़, धाकड़	कृषक	राजपूत इसमें शामिल नहीं है।
23.	गड़रिया, धनगर, कुरमार, हटकर, बस्तर हाटकार,गाड़री, धारिया, धोषी (गड़रिया) गारी, गायरी, गड़रिया (पाल बघेले)	भेड़ बकरी पालना	गड़रिया जाति व उसकी उपजातियॉ अपने को पाल व बघेले भी कहते है पाल व बघेले गड़रिया जाति को उपजाति के रुप में शामिल किया गया है। बघेल राजपूत पिछड़ी जाति में शामिल नहीं हैं।
24.	किडेरे, धुनकर, धुनिया, धनका कोड़ार	कपास की रुई धुनकने का कार्य करनाकडेरे आतिशबाजी बनाने का कार्य भी करते है	

क्र.	नाम जाति /उपजाति /वर्ग समूह	परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
	2	3	4
25.	कोष्टा, कोष्टी (देवांगन) कोष्टा, माला पदमशाली, साली, सुतसाली, सलेवार सालवी, देवांग, जन्द्रा, कोस्कोटी, कोश्कोटी (लिंगायत) गढवाल, गढेवाल,गरेवार, गरवार, डुकर, कोल्हाटी	बुनकर	इस समूह में सम्मिलित डुकर कोल्हाटी कर्त्तव्य व कसरत का प्रदर्शन करते है।
26.	धोली/ड़फाली/ड़फली/ढ़ोली, दमामी, गुरव	गांव में पुरोहित का कार्य शिव मंदिरो में पूजा व उपजातियां ढोल बजाने का कार्य करती हैं।	इस समूह में ब्राम्हण समूह शामिल नहीं है।
27.	गुसाई, गोस्वामी	धार्मिक भिक्षावृत्ति, मंदिरों में महंती	ब्राहम्ण जाति से संबंधित कहने वाले लोग इस समूह में सम्मिलित नहीं है।
28.	गूजर (गुर्जर)	कृषक, पशुपालन	राजपूत व क्षत्रिय कहलाने वाले
29.	लोहार, लुहार लोहपीटा, गड़ोले, हुंगा लोहार, लोहपटा, गड़ोला, लोहार (विश्वकर्मा)	लोहे के औजार बनाने का कार्य करना	सम्मिलित नहीं है। विश्वकर्मा में ब्राहम्ण वर्ग सम्मिलित नहीं है।
30.	गारपगारी, नाथ-जोगी, जोगीनाथ ,हरिदास	गारपगारी ओलावृष्टि की रोक करके फसल की रक्षा का कार्य करते हैं। जोगी व इस समूह की अन्य जातियां धार्मिक भिक्षावृत्ति का व्यवसाय करते है	जोगी धार्मिक भिक्षावृत्ति करते है। लेकिन इस समूह में जो ब्राम्हण है, वे शामिल नहीं है
31.	घोषी	भैंस पालन व पशुपालन	इसमें राजपूत क्षत्रिय शामिल नहीं है।
32.	सोनार, सुनार, झाणी, झाड़ी (स्वर्णकार) अवधिया, औधिया, सोनी (स्वर्णकार)	स्वर्ण एवं चांदी के आभूषण उगढने व बनाने का कार्य करना	इस समूह में सोना-चांदी के व्यापरी वर्ग या ज्वेलर्स सम्मिलित नहीं है।
33.	(अ) काछी (कुशवाहा, शाक्य, मौर्य) कोयरी या कोइरी (कुशवाहा), पनारा, मुराई, सोनकर	शाक-सब्जी उत्पादन व साग-सब्जी तथा फूल उत्पादन व बागवानी	कुशवाहा काछी कोयरी व कोइरी जाति की उपजाति हैं। काछी जाति के शाक्य व मौर्य भी उपजातियां हैं।

क्र.	नाम जाति /उपजाति /वर्ग समूह	परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
	2	3	4
	कोहरी	कृषि कार्य एवं मजदूरी	यह जाति मध्यप्रदेश के बालाघाट एवं सिवनी जिलों में पाई जाती हैं
	(ब) माली (सैनी), मरार	-	कुशवाहा राजपूत इसमें शामिल नहीं है।
34.	जोशी (भड्ड़री) ड़कोचा, ड़कोता	ज्योतिष का व्यवसाय व शनि का दान लेना	शनिदेव के नाम पर भिक्षा वृत्ति व मृत्यु दान लेना, जोशी जाति के लोग करते हैं, जोशी ब्राम्हण इसमें शामिल नहीं है।
35.	लखेरा, लखेर, कचेरा, कचेर	लाख का कार्य करने कांच की चूड़ियां बेचना	-
36.	ठठेरा, कसार, कसेरा, तमेरा, तम्बटकर ओटारी, ताम्रकार, तमेर, घड़वा, झारिया कसेर	तांबा, पीतल ब कांसा के बर्तन बनाना	
37.	खातिया, खाटिया, खाती	कृषक	-
38.	कुम्हार (प्रजापति), कुंभार (छतरपुर, दतिया पन्ना, टीकमगढ़, सतना, रीवा सीधी व शहड़ोल जिलों को छोड़कर)	मिट्टी के बर्तन बनाना	कुम्हार जाति छतरपुर, दतिया पन्ना, टीकमगढ़, सतना,रीवा सीधी व शहड़ोल जिलों में अनुसूचित जाति में शामिल हैं।
39.	कुरमी, कुरमार, कुनबी, कुर्मी, पाटीदार(कुलमी, कुल्मी, कुलम्बी) कुर्मवंशी,सिरवी चन्द्राकर, चन्द्रानाहू कुंभी गवैल (गमैल)	कृषक, कृषि मजदूरी	-
40.	कमरिया	पशुपालन व दुग्ध विक्रेता	-
41.	कौरव, कांवरे	कृषक	-
42.	कलार (जायसवाल) कलाल,ड़ड़सेना	मदिरा (शराब) बेचना	-

क्र.	नाम जाति /उपजाति /वर्ग समूह	परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
	2	3	4
43.	कलौता, कलौटा, कोलता, कोलटा	कृषक	-
44.	लोनिया, लुनिया,ओड़, ओड़े,ओड़िया नौनिया, मुरहा,मुराहा, मुड़हा, मुड़ाहा	ज्रमक बनाना व साफ करना, मिट्टी खोदना	-
45.	नाई (सेन, सविता, उसरेटे, श्रीवास), म्हाली, नाव्ही, उसरेटे	बाल बनाना, विवाह शादी में संस्कार सम्पन्न कराना।	सेन, सविता, श्रीवास, उसरेटे नाई की उपजातियों के रुप मे सम्मिलित की गई है।
46.	नायटा, नायड़ा	लघु कृषक, कृषि मजदूरी	-
47.	पनका, पनिका (छतरपुर, पन्ना, दतिया, टीकमगढ़, सतना, रीवा, सीधी, शहड़ोल जिलों को छोड़कर)	मजदूरी करना गांव की चौकीदारी करना	पनिका, छतरपुर,पन्ना, दतिया टीकमगढ़, रीवा, सतना, सीधी व शहड़ोल जिले में जनजाति में शामिल हैं।
48.	पटका, पटकी, पटवा	सिल्क के धागे कपड़े व सत बनाना	जैन धर्म के लोगों को छोड़कर
49.	लोधी, लोधा, लोध	कृषक	-
50.	सिकलीगर	शस्त्र सफाई लोहे के औजारों की धार तेज करना	-
51.	तेली (ठाठ, साहू, राठौर)	तेल पेरना व बेचने का व्यवसाय करना	तेली जाति के लोग अपने को साहू व राठौर कहते हैं। राठौर का तेली की उपजाति में सम्मिलित किया गया है राठौर राजपूत इसमें शामिल नहीं हैं।
52.	तुरहा, तिरवाली, बड्डर	मिट्टी खोदने का काम करना, पत्थर तरासना	-
53.	किसड़ी, कसड़ी	नाच-गाकर मनोरंजन करने वाले	-

क्र.	नाम जाति /उपजाति /वर्ग समूह	परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
	2	3	4
54.	वोवरिया	मजदूरी	अनुसूचित जनजाति कोरकू की उपजाति है। बैतूल जिले की भंवरगढ़ क्षेत्र में निवास करती है
55.	रोतिया, रौतिया	जो कृषि कार्य करती है। पूर्व में सैनिक वृत्ति करती थीं	सरगुजा तथा जशपुर क्षेत्र में पाई जाती है।
56.	मानकर, नहाल	जंगली जनजाति मजदूरी करना।	मैनकर की उपजाति निहाल अनुसूचित जनजाति में शामिल है।
57.	कोटवार, कोटवाल (भिण्ड़, धार, देवास, गुना, ग्वालियर, इन्दौर, झाबुआ, खरगौन मंदसौर, मुरैना, राजगढ़, रतलाम, शाजापुर, शिवपुरी, उज्जैन एवं विदिशा जिलों को छोड़कर)	ग्राम चौकीदारी	कोटवाल जाति की भिण्ड़, धार, देवास, गुना, ग्वालियर, इंदौर, झाबुआ, खरगौन, मंदसौर, मुरैना, राजगढ़, रतलाम, शाजापुर, शिवपुरी, उज्जैन एवं विदिशा जिलों में अनुसूचित जाति में शामिल किया गया है।
58.	खैरुवा	कत्था बनाना	खैरुवा, खैरवार की उपजाति है, खैरवार अनुसूचित जनजाति में शामिल है।
59.	लोढा (तंवर)	कृषक, मजदूरी, लकड़ी बेचकर जीवन यापन करना	-
60.	मोवार	जंगली जानवरों का शिकार व मजदूरी	एक अघोषित आदिम जनजाति
61.	रजवार	कृषक,कृषि मजदूर	-
62.	अधरिया	कृषक, कृषि, मजदूरी	यह जाति अगरिया जनजाति से भिन्न जाति है।

क्र.	नाम जाति /उपजाति /वर्ग समूह	परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
	2	3	4
63.	तिऊर , तूरी	मछली पकड़ना व उसका व्यवसाय करना नाविक बांस एवं बैंत का सामान बनाने का कार्य करना।	-
64.	भारुड़	पशुओ की पीठ पर लदान द्वारा माल ढोना।	मुगल काल में फौज की रसद ढोने का कार्य भी करते थे।
65.	सुत सारथी-सईस/सहीस	घोड़ो की देखरेख, घोड़ागाड़ी हांकना	-
66.	क्षेलंगा, तिलगा	कृषि श्रमिक	जंगली आदिम जाति जो क्षेलुगु भाषी हैं, विशेषकर बस्तर जिलें में पाई जाती है।
67.	राघवी	कृषि कार्य करना	-
68.	रजभर	कृषि मजदूरी	-
69.	खारोल	कृषि मजदूरी	-
70.	सरगरा	ढोल बजाना	-
71.	गोलान, गवलान, गौलान	गाय, भैंस पालना और दूध का व्यवसाय करना।	-
72.	रज्जड़, रजझड़	कृषि मजदूरी	-
73.	जादम	कृषि मजदूरी	-
74.	गंगी	कृषक	दांगी राजपूतों को सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है।
75.	गयार/ परधनिया	कृषि मजदूर एवं पालतू पक्षी पकड़कर बेचने वाले	रायगढ़ जिले में अधिकतर पाये जाते हैं।

क्र.	नाम जाति /उपजाति /वर्ग समूह	परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
	2	3	4
76.	कुडमी	कृषक	अधिकतर बैतूल जिले में निवास करते है
77.	मेर	कृषि मजदूर	गुना जिले में आबाद है।
78.	वया महरा/कौशल, वया	बुनकर	अधिकांशत: दुर्ग जिलें में निवास करते है।
79.	पिंजारा (हिन्दू)	-	-
80.	विलोपित	-	-
81.	अनुसूचित जातियां जिन्होने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया है।	पेशा वही है जो धर्म परिवर्तन के पूर्व करते आ रहे है।	अनुसूचित जातियां जिन्होने ईसाई व बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया है, उनको आयोग द्वारा पिछडे वर्ग में शामिल कर लिया गया है।
82.	अंजना	-	-
83.	थोरिया	-	-
84.	गेहलोत मेवाड़ा	-	-
85.	रेवारी	-	-
86.	रुआला/रुहेला	-	-
	मुस्लिम धर्मावलम्बी वर्ग/समूह		
87.	(1) रंगरेज	कपड़ो की रंगाई	हिन्दू छीपा जाति के समान व्यवहार
	(2) भिश्ती	पानी भरने का काम	हिन्दुओं की कहार जाति के समान धंधा

क्र.	नाम जाति /उपजाति /वर्ग समूह	परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
	2	3	4
	(3) छीपा	कपड़ो में छपाई करना	हिन्दू छीपा जाति के समान व्यवहार
	(4) हेला	मलमूत्र सफाई का कार्य	हिन्दू मेहत्तर जाति की तरह कार्य
	(5) भटियारा	भोजन बनाने का कार्य	-
	(6) घोबी	कपड़ा धोने का कार्य	हिन्दुओं की धोबी जाति के समान व्यवहार
	(7) मेवाती	कृषि, पशुपालन का कार्य।	हिन्दू मेवैंती जाति के समान कार्य।
	(8) पिंजारा, नद्दाक, बेहना, धुनिया, धुनकर फकीर, शाह, सांई, कब्रखोदू	रुईधुनाई का कार्य भिक्षावृत्ति, एवं कब्र खोदना	हिन्दुओं के कडेरा जाति के समान
	(9) कुंजड़ा, राईन	साग सब्जी फल इत्यादि बेचना	हिन्दुओं की काछी जाति के समान साग सब्जी का कार्य
	(10) मनिहार	कांच की चूड़ियां व बिसैंत खाने का सामान बेचना	हिन्दुओं की कचेर जाति के समान धंधा
	(11) कसाई, कस्साव	पशुओं का वध एवं उनका मांस/गोश्त बेचने का कार्य।	हिन्दू खटिक जाति के समान धंधा
	(12) मिरासी	विरुदावली, यशोगान का वर्णन करना	हिन्दू भाट जाति के तरह पेशा।
	(13) मिरधा	चौकीदारी/रखवाली	हिन्दुओं की मिरधा की तरह व्यवसाय
	(14) बढई (कारपेन्टर)	लकड़ी का सामान एवं फर्नीचर बनाने का काम।	हिन्दू बढई जाति के समान पेशा
	(15) हज्जाम (बारबर)	बाल बनाने का कार्य।	हिन्दुओं की नाई जाति के समान पेशा करने वाले

क्र.	नाम जाति /उपजाति /वर्ग समूह	परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
	2	3	4
	(16) हम्माल	वजन ढोना व पल्लेदारी करना	-
	(17) मोमिन जुलाहा (वे जुलाहे जो मोमिन हैं)	कपड़ा बुनाई का कार्य	हिन्दू कोस्टी/कोष्टा जाति के समान पेशा।
	(18) लुहार, नागौरी	लोहे के औजार व अन्य सामान बनाना	हिन्दुओं में लुहार/ लोहार जाति की तरह पेशा करने वाले।
	(19) तड़वी	कृषि कार्य।	-
	(20) बंजारा	घुमक्कड़ जाति/ समूह बैलगाड़ी से सामान ढोना तथा पशुओं को बेचने का व्यवसाय।	हिन्दूओं में बंजारा जाति के समान व्यवसाय
	(21) मोची	चमडे के जूते चप्पल आदि बनाना।	हिन्दुओं में चमार जाति के समान व्यवसाय करने वाले
	(22) तेली, नायता, पिंड़ारी (पिंड़ारा) कांकर	कोल्हू से पेरकर तेल निकालना व बेचना	हिन्दू तेली जाति के समान पेशा करने वाले।
	(23) पेमदी	पेड़ पौधों की कलम लगाने का धंधा	-
	(24) कलईगर	बर्तनों व अन्य सामान में कलई करना	-
	(25) नालबन्द	बैलो व घोड़ो के पैरों में नाल बांधने का काम	-
	(26) शीशगर	-	-
	(27) गोली	पशुपालन व दूध विक्रेता का व्यवसाय करना।	क्रमांक -1 पर हिन्दू गोली के समकक्ष जाति।
	(28) राजगीर	ईंट की जुड़ाई चूनागारा भवन निर्माण का कार्य	क्रमांक-17 पर हिन्दू राजगिर के समकक्ष जाति।

क्र.	नाम जाति /उपजाति /वर्ग समूह	परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
	2	3	4
	(29) ड़फाली	मांगना	क्रमांक -26 पर हिन्दू ड़फाली के समकक्ष जाति।
	(30) धोबी व गवली, गोली	दूध बेचना व पशु चराना	क्रमांक-31 पर हिन्दू घोषी के समकक्ष जाति।
	(31) सिकलीगर	औजारों पर धार लगाना	क्रमांक -50 पर हिन्दू सिकलीगर के समकक्ष जाति।
	(32) संतरास	पत्थर की जुड़ाई एवं कटाई	सूची क्रमांक - 52 पर हिन्दुओं के समकक्ष मुस्लिम सेंतरास पत्थर तराशनेका कार्य करते हैं।
	खरादी कमलीगर	लकड़ी पर खरादी कर कार्य तथा लाख का कार्य करना	यह जाति सूची के क्रमांक- 87 (14) पर अंकित बढई (कारपेन्टर के आगे जोड़ी जाने से कैफियत पूर्ववत रहेगी।
	(33) नट	कलाबाजी दिखाना।	अनुसूचित जाति में सम्मिलित नट जाति के समक्ष जाति।
	(34) शेख मेहतर	सफाई कामगार के रुप में कार्य करना।	अनुसूचित जाति में सम्मिलित हिन्दू मेहतर के समकक्ष जाति
	(35) नियारगर	सुनार व सडक की धूल, कचरे व नदी नाले की मिट्टी एकत्रित कर उसे धोकर उसमें से धातू को एकत्रित कर सुनारों के पास बेचना	
	(36) गद्दी	पशुपालन,कृषि तथा मजदूरी	
	(37) मुकेरी, मकरानी	पशुपालन एवं पशु व्यवसाय	
	(38) भांड़ नक्काल	पशुपालन एवं पशु व्यवसाय	

क्र.	नाम जाति /उपजाति /वर्ग समूह	परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
88.	बैसवार		
89.	शौंडिक/ सूण्डी, सूडी एवं सोढ़ी		
90.	विश्नोई, जाट		
91.	पोबिया		

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार
अमर सिंह
प्रमुख सचिव

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इस सूची का अनुकूलन किया गया है ।

छत्तीसगढ़ शासन का पत्र क्र./2/115/25-2/06 आजावि/रायपुर दिनांक 28.03.06 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा अविभाजित म.प्र. शासन द्वारा घोषित जातियों की सूची के अतिरिक्त निम्नांकित जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया है । जो कि निम्नानुसार हैं :-

क्र.	जाति	पिछड़ा वर्ग की सूची में अनुक्रमांक
1.	शैण्डिक, सुण्डी, सूड़ी, सोढ़ी	89
2.	रावत	01
3.	पटैल (हरदिया मरार)	33 ब
4.	पोबिया	91
5.	कोईर	33 अ
6.	भूलिया- भोलिया	90

छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग,
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर
-//अधिसूचना//-

रायपुर, दिनांक 08 जुलाई 2009

क्रमांक /एफ-10-3/25-3/09/आजावि : राज्य शासन, एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों के सरल क्रमांक 36 में सम्मिलित ''ठठेरा, कसार, कसेरा, तमेरा,तम्बटकर, ओटारी, ताम्रकार, तमेर, घड़वा,झारिया'' के पश्चात ''कसेर'' को स्थापित करता है .

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(डॉ. अनिल चौधरी)
उपसचिव,
छत्तीसगढ़ शासन

क्रमांक /एफ-10-3/25-3/09/आजावि रायपुर, दिनांक 08 जुलाई, 2009

प्रतिलिपि,

1. प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा, रायपुर
3. मान. मुख्यमंत्री के सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर
4. विशेष सहायक मान. मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग
5. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, छत्तीसगढ़ शासन
6. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, रायपुर
7. आयुक्त, जनसंपर्क, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. संचालक, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास, छत्तीसगढ़ , रायपुर
9. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर
10. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, रायपुर
11. संबंधित ----------
12. उपसंचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, चिखली, राजनाँदगाँव की ओर अग्रेषित, कृपया अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित करने का कष्ट करें .

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन

जाति संबंधी प्राप्त आवेदनों की सूची

क्र.	जाति का नाम
1.	खर्रा जाति
2.	गुसाई जाति
3.	तन्ती,तांती जाति
4.	जुलाहा जाति
5.	छिपी जाति
6.	कलार (कल्वार) जाति
7.	केसरवानी समाज
8.	अग्निकुल क्षत्रिय
9.	गड़ेरी जाति
10.	रौनियार जाति
11.	जोगीनाथ
12.	थनापति
13.	मल्लाह (मलहा)
14.	झरिया जाति
15.	गुरिया जाति
16.	हलवाई जाति
17.	कमलापुरी वैश्य
18.	शिया मुस्लिम, ईरानी मुस्लिम
19.	कसौधन वैश्य
20	वेलदार (क्षत्रिय)
21.	हिन्दू पिंजारा
22.	कबीरपंथी वैष्णव
23.	गबैल जाति
24.	कापरी जाति

25.	कुन्बी जाति
26.	कोईर जाति
27.	भूलिया जाति
28.	शौण्डिक / सुंडी / सोढ़ी जाति
29.	पोबिया जाति
30.	हरदिया पटेल
31.	रावत जाति
32.	गोपाल जाति
33.	मुस्लिम मनिहार समाज
34.	राठौर जाति
35.	मलार जाति
36.	मौवार जाति
37.	तुर्पूकापू एवं कोप्युवेलता जाति
38.	झोरा समाज
39.	अघरिया जाति
40.	धुरी जाति
41.	गुर्जर जाति
42.	कसेर जाति
43.	भड़भूजा जाति के आरक्षण सुविधाऐं प्रदान करने बाबत् ।
44.	'गुरव' जाति को छ.ग. राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल करने बाबत्।
45.	'सारथी जाति' जाति को पिछड़ा वर्ग के रूप में समाहित करने बाबत्।
46.	"ओड़िया" जाति के साथ "सागरवंशी" को शामिल करने बाबत्।
47.	'राजभर' जाति को शामिल करने बाबत्।
48.	भोई कहार जाति को शामिल करने बाबत।

A - पिछड़ा वर्ग में शामिल जाति की सूची

क्र.	जाति का नाम
1.	हिन्दु पिंजारा जाति
2.	कोईर जाति
3.	भूलिया जाति
4.	शौण्डीक/सुण्डी/सोढी जाति
5.	पोबिया जाति
6.	हरदिया पटेल जाति
7.	रावत जाति
8.	कसेर

B - पिछड़ा वर्ग में अनुशंसित जाति की सूची

क्र.	जाति का नाम
1.	गोसाई जाति
2.	गडेरी जाति
3.	नाथयोगी जाति
4.	गुरिया जाति
5.	हलवाई जाति
6.	गबेल जाति
7.	कुन्बी जाति
8.	गोपाल जाति
9.	मौवार जाति

C - पिछड़ा वर्ग में अनुसंधान हेतु जाति की सूची

क्र.	जाति का नाम
1	खर्रा जाति
2	तांती जाति
3	छिपी जाति
4	कलार (कल्वार) जाति
7	मल्लाह (मलहा) जाति
8	शिया मुस्लिम , ईरानी मुस्लिम जाति
9	कापरी जाति
10	मलार जाति
11	झोरा समाज
12	गुर्जर
13	भड़भूंजा जाति
14	गुरव जाति
15	सारथी जाति
16	ओडिया (सागरवंशी) जाति
17	राजभर
18	भोई कहार

D - पिछड़ा वर्ग में खारिज की गयी जाति की सूची

क्र.	जाति का नाम
1.	जुलाहा जाति
2.	केसरवानी जाति
3.	अग्नि कुल क्षत्रिय
4.	झारिया जाति
5.	कमलापुरी वैश्य जाति
6.	कसौधन वैश्य जाति
7.	वेलदार क्षत्रिय जाति
8.	कबीरपंथी वैष्णव जाति
9.	मुस्लिम मनिहार समाज
10.	तुर्पूकापू जाति
11.	अघरिया जाति
12.	धुरी जाति
13	राठौर जाति

अध्याय - 07

क्रीमीलेयर बाबत् शासन के निर्देश

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल – 462004

क्रमांक एफ 7–26/93/आ.प्र./एक, भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 1999

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश

विषय :– अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को जारी किए जाने वाले प्रमाण–पत्र क्रीमीलेयर के संबंध में निर्धारित मापदण्ड।

संदर्भ :– सामान्य प्रशासन विभाग का समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 8 मार्च 1994 तथा 22 जून, 1994।

संदर्भित पत्रों का कृपया अवलोकन करें ।

2. भारत सरकार के ज्ञापन क्रमांक 36012/22/93/(ईस्टा) एस.सी.टी. दिनांक 8 सितम्बर, 1993 के द्वारा प्राप्त क्रीमीलेयर के मापदण्डों को ही राज्य सरकार द्वारा मान्य किया गया है, किन्तु अंग्रेजी मापदण्डों के हिन्दी अनुवाद में कुछ शाब्दिक विसंगतियां रह गई थी। अतः अब शाब्दिक विसंगतियों को दूर करते हुए, संशोधित हिन्दी मापदण्ड जारी किया जा रहा है, जिसकी प्रति संलग्न है। कृपया प्रमाण–पत्र जारी करते समय अब इन्हें अमल में लिया जाये।

संलग्न :– अनुसूची।

हस्ता.
(पी.सी. सूर्य)
उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रीमीलेयर के संबंध में निर्धारित मापदण्ड

अनुसूची

क्र.	प्रवर्ग का वर्णन		अपवर्जन नियम किस पर लागू होगा
1.	(अ) संवैधानिक पद		निम्नलिखित के पुत्र तथा पुत्री (पुत्रीयां) :–
		(क)	भारत के राष्ट्रपति,
		(ख)	भारत के उप राष्ट्रपति
		(ग)	उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश
		(घ)	संघ लोक सेवा आयोग/राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष तथा सदस्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक।
		(डी)	समान स्वरूप के संवैधानिक पदों को धारण करने वाले व्यक्ति
	सेवा के प्रवर्ग (अ) अखिल भारतीय केन्द्रीय तथा अन्य द्वारा राज्य सेवाओं के समूह–अ/ प्रथम श्रेणी अधिकारी (सीधी भर्ती नियुक्त)		निम्नलिखित के पुत्र तथा पुत्री :–
		(क)	जिनके माता–पिता, दोनों ही प्रथम श्रेणी अधिकारी हैं
		(ख)	जिनके माता–पिता, में से कोई एक प्रथम श्रेणी अधिकारी है
		(ग)	जिनके माता–पिता, में से दोनो ही प्रथम श्रेणी अधिकारी है किन्तु उनमें से एक की मृत्यु हो जाति है अथवा स्थायी अक्षमता का शिकार हो जाता हैं,
		(घ)	जिनके माता–पिता में से कोई एक प्रथम श्रेणी अधिकारी है और उसकी मृत्यु हो जाती है और उसने ऐसी मृत्यु अथवा ऐसी अक्षमता से पूर्व संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक आदि जैसे किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में कम से कम 5 वर्ष की अवधि के लिये नियुक्ति की प्रसुविधा प्राप्त की हो
		(डी)	जिनके माता–पिता दोनों ही प्रथम श्रेणी अधिकारी है तथा जिनकी मृत्यु हो जाति है अथवा जो स्थायी तौर पर अक्षमता के शिकार हो जाते है और दोनों की ऐसी मृत्यु अथवा ऐसी अक्षमता से पूर्व उनमें से किसी ने संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक इत्यादि जैसे किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में कम से कम 5 वर्ष की अवधि के लिये नियुक्ति की प्रसुविधा प्राप्त की हो।

	(क)	ऐसे माता–पिता के पुत्र तथा पुत्रियां जिनमें से कोई एक या दोनों प्रथम श्रेणी अधिकारी है, और जिनकी मृत्यु हो जाति है अथवा स्थायी अक्षमता का शिकार हो जाते हैं।
	(ख)	अन्य पिछड़े वर्ग के प्रवर्ग की ऐसी महिला जिसका विवाह प्रथम श्रेणी अधिकरी से हुआ है तथा वह स्वयं नौकरी के लिये आवेदन देना चाहती है।
(आ) केन्द्रीय तथा राज्य सेवा के समूह–ख/ द्वितीय श्रेणी अधिकारी (सीधी भरती द्वारा		निम्नलिखि के पुत्र तथा पुत्री (पुत्रियां) :–
	(क)	जिनके माता–पिता दोनों ही द्वितीय श्रेणी के अधिकारी हैं,
	(ख)	जिनके माता–पिता में से केवल पति द्वितीय श्रेणी का अधिकारी है ओर वह 40 वर्ष की आयु अथवा इससे पूर्व प्रथम श्रेणी अधिकारी बनता है।
	(ग)	जिनके माता–पिता दोनों ही द्वितीय श्रेणी के अधिकारी है और उनमें से एक की मृत्यु हो जाती है अथवा स्थायी तौर पर अक्षमता के शिकार हो जाता है एवं उनमें से किसी एक ने ऐसी मृत्यु अथवा स्थायी अक्षमता से पूर्व संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व बैंक इत्यादि जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में कम से कम 5 वर्ष तक की अवधि के लिये नियुक्ति की प्रसुविधा प्राप्त की हो।
	(घ)	जिनके माता–पिता में से पति प्रथम श्रेणी का अधिकारी हो (सीधी भर्ती से नियुक्ति अथवा 10 वर्ष की आयु से पूर्व पदोन्नति) तथा पत्नी द्वितीय श्रेणी अधिकारी हो तो पत्नी की मृत्यु हो जए अथवा स्थायी अक्षमता का शिकार हो जाए तथा
	(ङ)	जिनके माता –पिता में से पत्नी प्रथम श्रेणी की अधिकारी हो (सीधी भरती से नियुक्ति अथवा 40 वर्ष की आयु से पूर्व पदोन्नति) एवं पति द्वितीय श्रेणी अधिकारी हो और पति की मृत्यु हो जाए अथवा वह स्थायी अक्षमता का शिकार हो जाए। परंतु अपवर्जन का नियम निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होगा निम्नलिखित के पुत्र तथा पुत्री (पुत्रीयां) :–
	(क)	जिनके माता–पिता दोनों द्वितीय श्रेणी के अधिकारी है किन्तु उनमें से एक की मृत्यु हो जाती है अथवा स्थायी अक्षमता का शिकार हो जाता है।

	(ख)	जिनके माता–पिता दोनों द्वितीय श्रेणी के अधिकारी है तथा दोनों की मश्त्यु हो जाती है अथवा दोनों ही स्थायी अक्षमता के शिकार हो जाते हैं, चाहे उनमें से किसी ने ऐसी मृत्यु अथवा स्थायी अक्षमता से पूर्व संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक जैसे किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में कम से कम 5 वर्षकी अवधि के लिये नियुक्ति की प्रसुविधा प्राप्त की हो।
(इ) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के कर्मचारी		इस प्रवर्ग में उपर्युक्त अ तथा आ में बताया गया मानदण्ड सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों संगठनो, विश्वविद्यालयों इत्यादि में समकक्ष अथवा समतुल्य पद धारण करने वाले अधिकारियों तथा साथ ही गैर– सरकारी नियोजन के अंतर्गत समकक्ष अथवा समतुल्य पदों और स्तरों पर कार्य करने वाले अधिकारियों पर यथावश्यक पवितर्न सहित लागू होगा। इन संस्थानों में कार्यरत अधिकारियों पर नीचे प्रवर्ग 6 में विनिर्दिष्ट मानदण्ड लागू होगा।
3. सशस्त्र सेनाएं जिनमें अर्द्धसैनिक बल शामिल है (सिविल पदों पर कार्यरत व्यक्ति इसमें शामिल नहीं हैं)		उन माता–पिता के पुत्र पुत्री (पुत्रियां) जिनमें से कोई एक अथवा दोनों सेना में कर्नल तथा इससे ऊपर की पद श्रेणी पर तथा जल सेना और वायु सेना एवं अर्द्ध सैनिक बलों में समकक्ष, पदों पर कार्यरत है परंतु –
	(1)	यदि सशस्त्र सेना के किसी अधिकारी की पत्नी सेना (अर्थात विचारार्थ प्रवर्ग) में है तो अपवर्जन नियम केवल तभी लागू होगा जब वह स्वयं कर्नल की पद श्रेणी तक पहुंच जाए।
	(2)	पति तथा पत्नी की कर्नल से नीचे की सेवा पद श्रेणी को इकट्ठा सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
	(3)	सशस्त्र सेना के किसी अधिकारी की पत्नी के सिविल नियोजन में होने पर भी अपवर्जन नियम को लागू करने के आशय से इसे मद्देनजर नहीं रखा जायेगा जब तक कि वह मद संख्या 2 के तहत सेवा के प्रवर्ग में न आ जाए ऐसे मामलें में मानदण्ड तथा उनमें वर्णित शर्ते उस स्वतंत्र रुप से लागू होगी।
व्यावसायिक वग तथा वे जो व्यापार और उद्योग में लगे हुये कर्मचारी (1) चिकित्सक, वकील, चार्टड एकाउन्टेंट, आयकर परामर्शदाता, वित्तीय या प्रबंध सलाहकार,		प्रवर्ग 6 के सामने विनिर्दिष्ट मानदण्ड लागू होगा।

दंत चिकित्सक, इंजीनियर, वास्तुविद (आर्किटेक्ट), कम्प्यूटर विशेषज्ञ, फिल्म कलाकार तथा अन्य व्यक्ति जिनका व्यवसाय फिल्मों से जुडा है, लेखक, नाटयकार, खिलाडी खेल से जुड़े हुए अन्य व्यक्ति, जनसंचार व्यवसायी, पेशेवर खिलाडी अथवा समान स्तर के अन्य व्यवसाय में लगे व्यक्ति		
(2) व्यापार, कारोबार, तथा उद्योग में लगे व्यक्ति		प्रवर्ग 6 के सामने मानदण्ड लागू होगा। स्पष्टीकरण
	(1)	चाहे पति किसी व्यवसाय में हो तथा पत्नी द्वितीय श्रेणी में अथवा निम्न ग्रेड के नियोजन में हो, आय/सम्पत्ति का आँकलन केवल पति की आय के आधार पर किया जावेगा।
	(2)	यदि पत्नी किसी व्यवसाय में हो तथा पति द्वितीय श्रेणी अथवा निम्न ग्रेड के नियोजन में हो आय/सम्पत्ति का आँकलन केवल पत्नी की आय के आधार पर होगा और पति की आय को उसमें शामिल नहीं किय जाएगा।
5 सम्पत्ति स्वामी		
(क) कृषि खाते	(1)	एक ही परिवार (माता–पिता तथा अवयस्क बच्चे) के उन व्यक्तियों के पुत्र तथा पुत्री जो निम्नलिखित के स्वामी हैं :–
	(क)	केवल सिंचित भूमि जो कानूनी अधिकतम सीमा क्षेत्र के 85 प्रतिशत क्षेत्र के बराबर या उससे अधिक है, या
	(ख)	निम्नानुसार सिंचित तथा असिंचित दोनों प्रकार की भूमि अपवर्जन नियम वहां लागू होगा जहां कि पूर्व निर्धारित शर्त यह हो कि सिंचित क्षेत्र (जिसे सामान्य अभियान के आधार पर एक ही श्रेणी के अंतर्गत लाया गया हो) सिंचितत भूमि के लिये कानूनी अधिकतम सीमा का 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो। (इसकी गणना असिंचित क्षेत्र को अपवर्जित करके की जाएगी)। यदि 40 प्रतिशत से कम नहीं होने की पूर्व निर्धारित शर्त विद्यमान हो तब केवल असिंचिंत क्षेत्र को ही हिसाब में लिया जायेगा। यह कार्य असिंचिंत भूमि को, विद्यमान संपरिवर्तन फार्मूले के आधार पर सिंचित श्रेणी में संपरिवर्तित किया जाएगा।

		असिंचित भूमि में इस प्रकार संगठित सिंचित क्षेत्र को सिंचित भूमि के वास्तविक क्षेत्र में जोड़ा जाएगा और यदि इस तरह दोनों को जमा करने पर सिंचित भूमि के रूप में कुल क्षेत्र सिंचित भूमि के लिये तय की गयी कानूनी अधिकतम सीमा का 80 प्रतिशत या उससे अधिक है तो उस परिस्थिति में अपवर्जन का नियम लागू होगा तथा बेदखली कर दी जाएगी।
	(2)	यदि परिवार के पास जो जोत क्षेत्र है और पूर्णतः असिंचित क्षेत्र है तो अपवर्जन का नियम लागू नहीं होगा।
(ख) बागान		नीचे प्रवर्ग 6 में निर्दिष्ट आय/सम्पत्ति का मानदण्ड लागूनहीं होगा।
(एक) काफी, चाय, रबर आदि		इन्हें कृषि क्षेत्र समझाा जाएगा और इसलिये इस प्रवर्ग पर उपरोक्त "क" का मानदण्ड लागू होगा।
(दो) आम, खट्टे फल,सेब के बाग आदि		नीचे प्रवर्ग 6 में विनिर्दिष्ट मानदण्ड लागू होगा :–
(ग) शहरी क्षेत्रों में यह उप–नगरीय क्षेत्रों में रिक्त भूमि और/या भवन		स्पष्टीकरण भवन का उपयोग आवासीय, औद्योगिक या वाणिज्यिक प्रयोजन के लिये किया जा सकता है इस तरह के दो या अधिक प्रयोजनों के लिये किया जा सकता है।
6. आय/सम्पत्ति आँकलन संशोधन दिनांक 6 जूलाई 2000 (परिशिष्ट–30 पर संलग्न)		निम्नलिखित के पुत्र तथा पुत्रियां :–
	(क)	ऐसे व्यक्ति जिनकी कुल वार्षिक आय पिछले लगातार तीन वर्षो से दो लाख रूपये या उससे अधिक है या जिनके पास पिछले लगातार तीन वर्षो से इतनी सम्पति है जो धनकर अधिनियम में दी गई छूट की सीमा से अधिक है।
	(ख)	प्रवर्ग 1,2,3 तथा 5–क में के वे व्यक्ति जो कि आरक्षण के फायदे के हकदार है लेकिन जिन्हें सम्पत्ति के अन्य स्त्रोतों से आय होती है जिसके कारण वे ऊपर (क) में दी गई आय/सम्पत्ति के मानदण्ड के भीतर आते हों।
		स्पष्टीकरण
	(1)	वेतन या कृषि भूमि से हुई आय को इकट्ठा सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
	(2)	रूपये के मूल्य में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुये, रूपये के रूप में आय के मानदण्ड में प्रति तीन वर्ष में एक बार संशोधन किया जाएगा तथा परिस्थितियों की मांग के अनुरूप अंतरावधि कम भी हो सकती है।

स्पष्टीकरण :– इस अनुसूची में जहां कहीं भी "स्थायी अक्षमता" अभिव्यक्ति का प्रयोग हुआ है उसका तात्पर्य ऐसी अक्षमता से है जिसके परिणामस्वरूप किसी अधिकारी को सेवा में बनाये न रखा जा सकें।

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक एफ 9–3/2001/1–3 रायपुर दिनांक 24/06/2009

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल, बिलासपुर,
समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर्स,
छत्तीसगढ़

विषय :- अन्य पिछड़े वर्गों (O.B.C.) के उम्मीदवारों को जारी किए जाने वाले प्रमाण–पत्र "क्रीमीलेयर" के संबंध में निर्धारित मापदण्ड में संशोधन।

संदर्भ :- सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. एफ 7–26/93/आ.प्र./एक, दिनांक 30.07.1999 एवं समसंख्यक परिपत्र दिनांक 06.07.2000

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित परिपत्रों द्वारा पिछड़े वर्गों के संबंध में सम्पन्न वर्ग (क्रीमिलेयर) दर्जे के निर्धारण हेतु पूर्व निर्धारित आय सीमा में वृद्धि करते हुए आय सीमा रूपये 2 लाख नियत की गई थी।

2/ भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालयीन ज्ञापन क्र. 36033/3/2004–स्था. (आरक्षण), दिनांक 14 अक्टूबर 2008 द्वारा अन्य पिछडे वर्गों में सम्पन्न वर्गों (क्रीमीलेयर) का निर्धारण करने के लिए आय सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर 4.5 लाख किया गया है।

3/ अतः राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य में भी अन्य पिछड़े वर्गों के संबंध में सम्पन्न वर्ग (क्रीमीलेयर) के निर्धारण हेतु वर्तमान निर्धारित आय सीमा 2.00 लाख प्रतिवर्ष से बढ़ाकर रूपये 4.50 लाख (रूपये चार लाख पचास हजार) प्रतिवर्ष निर्धारित की जाए। तदानुसार, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. एफ 7–16/2000/आ.प्र./एक, दिनांक 06.07.2000 में अनुसूची के अनुक्रमांक 6 आय/सम्पत्ति आंकलन भाग (क) में अब निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :–

पूर्व निर्धारित मापदण्ड			संशोधित मापदण्ड		
क्र. (1)	प्रवर्ग का वर्णन (2)	अपवर्जन किस नियम पर लागू होगा (3)	क्र. (1)	प्रवर्ग का वर्णन (2)	अपवर्जन किस नियम पर लागू होगा (3)
6	आय/ सम्पत्ति आँकलन	निम्नलिखित के पुत्र तथा पुत्रियाँ :-	6	आय/ सम्पत्ति आँकलन	निम्नलिखित के पुत्र तथा पुत्रियाँ :-
		(क) ऐसे व्यक्ति, जिनकी कुल आय पिछले लगातार तीन वर्षों से रूपये 2.00 लाख (रूपये दो लाख) या उससे अधिक है या जिनके पास पिछले तीन वर्षों से इतनी सम्पत्ति है, जो धनकर अधिनियम में दी गई छूट की सीमा से अधिक है।			(क) उन व्यक्तियों के पुत्र और पुत्रियां, जिनकी लगातार तीन वर्षों तक की कुल वार्षिक आय 4.50 लाख रूपये (रूपये चार लाख पचास हजार) या उससे अधिक है, अथवा धनकर अधिनियम में यथा निर्धारित छूट सीमा की अधिक सम्पत्ति रखते हैं। (ख) श्रेणी *I, II, III* और *IV* क, में आने वाले ऐसे व्यक्ति जो आरक्षण का लाभ पाने के हकदार है, परन्तु जिनकी अन्य स्त्रोतों से आय अथवा सम्पत्ति जो उन्हे उपर्युक्त (क) में उल्लेखित आय/सम्पत्ति के मानदण्ड के भीतर लाएगी, के पुत्र और पुत्रियों स्पष्टीकरण वेतन अथवा कृषि भूमि से प्राप्त आय को संयुक्त रूप से नहीं जोड़ा जाएगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(के.आर.मिश्रा)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासनसामान्य प्रशासन विभाग

पृ.क्रमांक / एफ 9-3 / 2001 / 1-3 रायपुर दिनांक 24.06.09

प्रतिलिपि :-

01. राज्यपालन के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर,
02. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर,
03. सदस्य सचिव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार, त्रिकूट-1 भीकाजी काम्प्लेक्स, नई दिल्ली,
04 निदेशक, भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
05. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, रायपुर
06. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर,
07 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर,
08. विशेष सहायक / निज सहायक, मुख्यमंत्री / राज्यमंत्रीगण, छत्तीसगढ़, रायपुर
09 सचिव, लोक सेवा आयोग छत्तीसगढ़ रायपुर
10. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग पदाधिकारी, रायपुर
11. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग छत्तीसगढ़ रायपुर
12. महालेखाकार छत्तीसगढ़ रायपुर
13. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन नई दिल्ली,
14. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, छत्तीसगढ़ रायपुर
15. सचिव छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर
16. उप सचिव, महाधिवक्ता कार्यालय उच्च न्यायालय परिसर, बिलासपुर,
17. कुल सचिव समस्त विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़
18. अवर सचिव (स्थापना) / अधीक्षण / अभिलेख / मुख्यलेखाधिकारी, मंत्रालय रायपुर,
19. अनुभाग अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, कक्ष-6 मंत्रालय, रायपुर की ओर वेब साईट www-cg.nic.in/gad पर अपलोड हेतु

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

अध्याय - 08

जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में शासन के निर्देश

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक 428/2003/1–3, रायपुर दिनांक 22.07.2003

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
छत्तीसगढ़

विषय :– अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण–पत्र जारी करने के संबंध में।

सामान्य प्रशासन विभागके परिपत्र क्रमांक एफ–7–2/96/आ.प्र./एक, दिनांक 12 मार्च, 197 में पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण–पत्र जारी करने के संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं। इन निर्देशों का कंडिका '6' एवं '13' में निम्नानुसार उल्लेख है :–

6. जाँच के आधार बिन्दु – जांचकर्ता अधिकारी आवेदक के निवास, स्थायी पता, राजस्व रिकार्ड, अचल संपत्ति आवेदक के परिवार का व्यवसाय, मतदाता सूची में नाम या अन्य साक्ष्य, जो कि वहां के स्थायी निवास तथा जाति सिद्ध करने में सहायक हो, प्राप्त करेंगे उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, वहां के रहने वाले राजपत्रित अधिकारी की भी राय ली जा सकती है ग्रामीण क्षेत्र की पंचायते तथा शहरी क्षेत्र के नगर निकाय, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के अभिलेख इन संस्थाओं की राय को भी साक्ष्य माना जायेगा परंतु प्रमाण–पत्र जारी करने के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि उक्त साक्ष्य से या अन्य सभी तरीके से वे सुनिश्चित करें कि जिस व्यक्ति को यह प्रमाण–पत्र दिया जा रहा है, वह (मध्य प्रदेश) छत्तीसगढ़ का निवासी है और दिनांक 26 दिसम्बर 1984 को या इसके पूर्व (मध्य प्रदेश) छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवजन कर चुका है।"

13. प्रवजन अर्न्राज्यीय प्रवजन– (अ) जहां कोई व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवजन करता है, तो वह केवल उस राज्य के बारे में ही पिछड़ा वर्ग का सदस्य माना जाएगा, जिससे मूल रूप से संबंध हो अथवा पिछड़े वर्ग के संबंध में राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 26.012.1984 को या इसके पूर्व राज्य में प्रवजन कर चुका हैं।

(ब) यदि पिछड़ा वर्ग का सदस्य कहीं अन्यत्र प्रवजन करता है और वह जाति/जनजाति उस प्रदेश की अधिसूचित सूची में नहीं है तो उसे जाति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी"

उपरोक्त प्रावधान से यह स्पष्ट है कि पिछड़ा वर्ग जाति प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए 26 दिसम्बर, 1984 की स्थिति में जांच की जाना है।

2. शासन को लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही है कि जाति प्रमाण–पत्र जारी करने वाले अधिकारियों द्वारा वर्ग के जाति समूहों से भी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों की भांती वर्ष 1950 के आधार पर अभिलेख की मांग/जांच को आधार बनाया जा रहा है।

3. अतः समस्त कलेक्टरों को निर्देशित किया जाता है कि वे स्वयं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसीलदारों एवं नायाब तहसीलदारों की तत्काल बैठक लेकर यह सुनिश्चित करें कि पिछड़ा वर्गों के लिए जाति प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु 26 सितम्बर, 1984 की निर्धारित तिथि का पूर्णतः पालन करें।

(पंकज द्विवेदी)
प्रमुख सचिव
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ.क्रमांक 428/2003/1–3, रायपुर दिनांक 22.07.2003

प्रतिलिपित :–

1. राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़, रायपुर।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा, रायपुर।
3. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
4. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़, रायपुर।
5. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर।
6. उपसचिव, महाधिवक्ता कार्यालय, उच्च न्यायालय परिसर, बिलासपुर।
7. प्रमुख सचिव/संयुक्त सचिव/उपसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।
8. आयुक्त, जन सम्पर्क, रायपुर।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(विलियम कुजूर)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

अध्याय - 09

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने वचन दिया है कि सभी मांगों एवं दावों की पूर्ति सुनिश्चित करेंगे

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष न्यायाधीश श्री एस.आर. पानडियन ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की प्रशंसा की है।

26 फरवरी को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एवं राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की संयुक्त बैठक में विभिन्न समुदायों से आए प्रतिनिधियों को बात करने का अवसर दिया था जो ये चाहते थे की उनके जाति का नाम भी केन्द्रीय सरकार की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल किया जाए।

मंगलवार को ये बैठक मेडिकल कॉलेज रायपुर के सभा कक्ष में हुई थी इस बैठक 50 समुदायों के पदाधिकारीगणों ने मांग की थी की शैक्षणिक संस्थाओं एंव प्रतियोगी परीक्षाओं में आरक्षण के बावजूद लोक सभा एवं राज्य विधानसभा में भी आरक्षण दिया जाय ताकि वे संसद व विधानसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकें।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की पहली बैठक में 50 समुदायों से आए पदाधिकारीगणों ने बड़े उत्साह से बैठक में भाग एवं उसका प्रतिफल भी अच्छा हुआ। अधिकांश समुदायों ने अपनी जाति को केन्द्रीय सरकार की पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल करने की मांग की ताकि उन्हें उसका उचित लाभ मिल सके कुछ प्रतिनिधियों ने अपनी जाति की मात्रात्मक त्रुटि की ओर ध्यान दिलाया जिसकी वजह से उन्हें जाति प्रमाण पत्र नहीं मिल पाती है।

प्रतिनिधियों की बातचीत बड़ी ध्यान से सुनने केबाद अध्यक्ष मान. श्री एस.आर. पानडियन ने आश्वस्थ किया की उनकी सभी मांगों एवं अन्य मुद्दों पर गंभीरता पूवर्क विचार करने के उपरांत केन्द्रीय सरकार को प्रेषित करेगा। उन्होंने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग जिसने ऐसी अन्य पिछडी जातियों का सर्वेक्षण किया उसकी प्रशंसा की।

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 18 जनवरी 2007 में हुई थी उसकी गतिविधियों का संक्षिप्त प्रतिवेदन देते हुए अध्यक्ष मान. श्री नारायण चंदेल ने बताया कि एक वर्ष की छोटी अवधि के भीतर ही अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करने के लिए 27 मामले विचारार्थ स्वीकृत किये गये थे जिनमे से 6 समुदायों को राज्य की पिछड़ा वर्ग सूची में सम्मिलित कर लिया गया है।

जन सुनवाई के समय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के वरिष्ठ सदस्य डॉ. सुभा सोमू, श्री लक्ष्मी नारायण चंद, अनुसंधान अधिकारी श्री एस.के. सिन्हा एवं अध्यक्ष के निज सचिव श्री ओ.पी. नागपाल उपस्थित थे। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य श्री लोचन पटेल ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

स्वागत के पश्चात् विभिन्न समुदायों से आये हुये प्रतिनिधियों ने अपने विचार प्रकट किये तथा जन-सुनवाई हेतु आमंत्रित जातियों के प्रतिनिधियों के विवरण इस प्रकार हैं:-

1. भारतीय विश्वकर्मा समाज :–भारतीय विश्वकर्मा समाज :–

ये 5 उपजाति हैं– लोहार, बढ़ई, ताम्रकार, शिल्पकार, स्वर्णकार। छ.ग. में इनकी संख्या करीब 5 लाख हैं। पूरे देश में ये करीब 2 करोड़ हैं। ये केन्द्र एवं राज्य में आरक्षण के पक्ष में हैं।

2. धीवर समाज :–धीवर समाज :–

ये लोग अनुसूचित जनजाति में अपना नाम जुडवाना चाहते हैं। लेकिन आयोग ने अनुसूचित जनजाति में लेने से इंकार कर दिया लेकिन ये पिछड़े वर्ग में शामिल हैं।

3. थारिया, दोशी, गड़रिया, पाल, बघेले :– गड़रिया, पाल, बघेले :–

ये सभी एक ही जाति के हैं इनका व्यवसाय भेड़–बकरी पालना व चराने का काम हैं। आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से बहुत पिछड़ें हैं। 2 प्रतिशत साक्षर हैं। उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, बिहर में पिछड़ें वर्ग में हैं परंतु गड़ेरी को हटाकर गड़रिया लगा दिया हैं। अतः इसे पिछड़े वर्ग में शामिल किया जाय।

4. सोनी :–

इसकी उपजातियाँ जौहरी, जर्गार ज़ारिया, सोनार, स्वर्णकार हैं। समाज के मनीष सोनी, प्रदेश अध्यक्ष सोनी समाज ने विचार व्यक्त किया। विभिन्न प्रदेशों में 15 वर्ष से रह रहे हैं। तथा जाति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने में परेशानी हो रही हैं। यह जाति अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में हैं पर कर्मकार को शामिल नहीं किया गया। इनका व्यवसाय सोने–चाँदी के जेवर बनाना हैं। आर्थिक स्थिती दयनीय हैं।

5. ध्रुवंशी, चन्द्राकर, कुर्मी :–ध्रुवंशी, चन्द्राकर, कुर्मी :–

समाज के प्रतिनिधी मुन्नालाल परगनिहा छ.ग. कुर्मी संयोजक इनका व्यवसाय कृषि हैं छ.ग. के सभी जिलों में लगभग 25 लाख की अबादी हैं। इस समाज को अ.पि.व. की सूची में शामिल किया जाय तथा सभी उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण दिया जाय। साथ ही राजनीतिक आरक्षण भी दिया जाय।

6. चंद्रा समाज :–चंद्रा समाज :–

कृष्णकांत चंद्रा अध्यक्ष चन्द्रनाहु समाज ने बताया कि छ.ग. में इनकी संख्यां 3 लाख की आबादी हैं। मूलतः कृषि और कृषि मजदूरी हैं। केन्द्र की सूची क्रं. 36 में उल्लेखित कुर्मी समाज की उपजाति कुर्मी समुदाय के फिरके से रोटी–बेटी का संबंध हैं। छत्तीसगढ़ में ये सूची क्रं.39 एवं मध्यप्रदेश में सूची क्रं. 40 में शामिल हैं। चंद्रा को केन्द्र की सूची में शामिल करें तथा चंद्रनाहु का नाम केन्द्र की सूची में नहीं आ पा रहा हैं।

7. राबेल, गभेल, गवेल :–राबेल, गभेल, गवेल :–

दिनेश गबेल, प्रांतीय अध्यक्ष गबेल ने बताया कि मध्यप्रदेश की सूची में गबेल और गभेल मूलरुप से कुर्मी हैं इनका कृषि व कृषि मजदूरी हैं। छ.ग. की सूची में त्रुटि होने के कारण राबेल, गभेल, गवेल को भी शामिल किया जाय।

8. जयसवाल (कलार, डडसेना) :–जयसवाल (कलार, डडसेना) :–
ये अपने को कलचुरी वंश से संबंधित बताते हैं। छ.ग. की सूची क्रं. 42 में शामिल हैं। इनका व्यवसाय शराब बनाना हैं। जयसवाल को राष्ट्रीय सूची में स्थान दिया जाय। छ.ग. के अलावा दूसरे राज्यों में राष्ट्रीय आरक्षण प्राप्त है। छ.ग. राज्य में भी हमें आरक्षण मिलना चाहिए तथा क्रीमीलेयर को हटाया जाय। बैकलॉक सीधी भरती में छ.ग. शासन में आरक्षण दिया जाय।

9. पनका, पनिका :–
शीतल दास मानिकपुरी ने बताया कि हमारी जाति भी आर्थिक, सामाजिक दृष्टि से पिछड़ी हुई है। अतः छ.ग. राज्य में आरक्षण मिलना चाहिए।

10. पिंजारा (हिन्दू) :–
तखत राम जामरे ने बताया कि उनकी जाति का मुख्य व्यवसाय गद्दे व रजाई बनाना है। छ.ग. में पिजारा जाति ही निवास करती हैं पिंजारा जाति को मुस्लिम समुदाय समझा जाता था। कबीर के अनुयायी है। इनकी प्रमुख मांग आरक्षण का प्रतिनिधित्व मिलना।

11. गोपाल :–
सुक्रवार सिंह गोपाल, जांजगीर (बरपाली) ने बताया कि उनका मुख्य व्यवसाय गो पालन है तथा इन्हें जाति प्रमाण–पत्र करने में परेशानी हो रही है।

12. पवार, पंवार :–*पवार, पंवार* :–
टी.डी. बिशेन ने बताया कि राज्य शासन द्वारा पवार सूची क्र. 13 शामिल है तथा इसके अंतर्गत पंवार जाति भी आती हैं अतः पंवार जाति को भी अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल किया जाय।

13. निर्मलकर (धोबी) :–
सूरज निर्मलकर ने बताया कि भारत देश का कानून एक होना चाहिए क्योंकि धोबी जाति को म.प्र., उ.प्र. बिहार, उड़ीसा में अनुसूचित जाति में शामिल किया गया है तथा अन्य राज्यों में अनुसूचित जनजातियों में शामिल है तथा छ. ग. अ. पि. व. में है अतः इन्हें एक किया जाये।

14. कुम्भकार :–
चंद्रशेखर पाडे अध्यक्ष जागृत कुम्भकार समाज ने बताया कि इनका मुख्य व्यवसाय मिटटी के घड़े बनाना है ये आर्थिक, सामाजिक रूप से पिछड़े है। तथा इन्होंने विभिन्न मांगों का उल्लेख किया तथा इन्हें भी आरक्षण मिलना चाहिए।

15. छ.ग. पिछड़ा वर्ग संगठन :–
विष्णु बघेल ने बताया कि क्रीमीलेयर पिछड़ा वर्ग की सूची से हटा देना चाहिए तथा अनु. जाति– जन जाति की तरह हमें भी विधायका में आरक्षण मिलना चाहिए। निजी क्षेत्र में भी आरक्षण की मांग की।

16. ललित बघेल :–

राष्ट्रीय स्तर पर इनकी संख्या 52 प्रतिशत है। और राष्ट्रीय स्तर पर आरक्षण की मांग की प्रधानमंत्री द्वारा घोषित शिक्षा ऋण के तहत उनको आर्थिक सहायता दी जाये।

17. अघरिया समाज :– अघरिया समाज :–

बालकराम पटेल ने बताया कि छ.ग. गज्य की सूची में क्र. 62 में शामिल है। अंग्रेजी में जाति का उल्लेख सही है। पर हिन्दी में त्रुटि के कारण जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करनेमें कठिनाई हो रही है।

18. माली (मरार) :–

भूपेन्द्र कुमार पटेल ने बलाया कि राज्य की सूची 33 (ब) में शामिल है। छ.ग. माली (मरार) उपजाति है। सभी प्रतियोगियों परीक्षाओं में आरक्षण की मांग की है।

19 चन्द्रनाहूँ समाज :–

डॉ. चौलेश्वर चंद्राकर ने बताया कि एन जी. ओ. का काम ग्रामीण क्षेत्रों में चलता है उस पर आरक्षण दिया जाये।

20. राठौर, क्षत्रिय समाज :–राठौर, क्षत्रिय समाज :–

केदार सिंह राठौर ने बताया कि इसे तेली जाति से संबंधित बताते है। लेकिन तेली जाति व्यवसाय से संबंधित है। इन्हें भी छ.ग. में आरक्षण मिलना चाहिए।

21. कुशवाहा समाज :–कुशवाहा समाज :–

चंद्रभूषण कुशवाहा ने बताया कि माली मरार उपजाति के नाम से जाना जाता है। नौकरी शिक्षा एवं विधायिका में आरक्षण की मांग की।

22. वैश्य समाज :– वैश्य समाज :–

विजय केशरवानी ने बताया कि यह वैश्य समाज लिखता है ये भी आर्थिक दशष्टि से पिछड़े है तथा मुख्य व्यवसाय कृषि है ज्यादातर लोग गांव में रहते हैं।

23. मोरिया समाज :– मोरिया समाज :–

रज्जू मोरिया प्रांतीय अध्यक्ष ने बताया कि हम देश में 85 प्रतिशत है। व महिलाओं को प्रोत्साहित किया तथा आरक्षण दिये जाने की व्यवस्था करना चाहिए तभी हमारा उद्धार होगा।

अध्याय - 10

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की कार्यवाही

छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग

छत्तीसगढ़ शासन

21–सी, रविनगर, कलेक्ट्रेट के पीछे, रायपुर (छ.ग.)

छ.ग.रा.पि.व.आ. 2009 क्र. 1465 रायपुर दिनांक 20/05/09

प्रति,

पुलिस अधीक्षक
जिला– धमतरी (छ.ग.)

विषय :– छल कपट से शिक्षाकर्मी वर्ग 3 की भर्ती का प्रलोभन देकर राशि हड़पने की शिकायत की जॉच बाबत्।

विषयांतर्गत लेख हैं कि श्री रामकृष्ण साहू निवासी ग्राम पलौद, पो. टेकारी, थाना अभनपुर, जिला– रायपुर एवं अन्य 6 से स्वतंत्र कौशल द्वारा छल कपट प्रलोभन से शिक्षाकर्मी पद पर भर्ती हेतु राशि हडप ली गई है, जिसकी शिकायत के संबध में अनावेदक स्वतंत्र कौशल पिता श्री टेशुलाल कौशल निवासी ग्राम बलियारा, जिला– धमतरी को पूर्व मे आयोग कार्यालय बयान हेतु बुलाये जाने पर अनुपस्थित रहें। आयोग की कार्यवाही हेतु संलग्न नोटीस तामिल कराकर पावती आयोग कार्यालय में भिजवाने का कष्ट करें।

संलग्नः– नोटिस

सचिव
छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग
रायपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक/1466/पि.व.आ./2009–10 रायपुर दिनांकः 20/05/09

प्रतिलिपि :–

1. श्री रामकृष्ण साहू निवासी ग्राम पलौद, पो. टेकारी, थाना अभनपुर, जिला– रायपुर को सूचनार्थ।

सचिव
छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग
रायपुर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग

छत्तीसगढ़ शासन

21–सी, रविनगर, कलेक्ट्रेट के पीछे, रायपुर (छ.ग.)

छ.ग.रा.पि.व.आ. 2009 क्र. 1474 रायपुर दिनांक 21/05/09

प्रति,

थाना प्रभारी,
बलौदाबाजार,
जिला– रायपुर (छ.ग.)

विषय :–रामकुमार नायक, विवारगी लटूवा द्वारा की गयी शिकायत पर कार्यवाही न किये जाने बाबत्।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख हैं कि रामकुमार नायक, निवासी लटूवा, थाना– बलौदाबाजार द्वारा अपने 70 वर्ष पुराना घुरवा को अमरू नायक सोनाबाई एवं रामभरोसा नायक द्वारा पाटकर भवन बनाने से रोके जाने पर सब्बल से जानलेवा हमला, मारपीट एवं अश्लील गाली–गलौच की शिकायत पर थाना प्रभारी, बलौदाबाजार द्वारा कार्यवाही नहीं किये जाने की शिकायत आयोग को प्रस्तुत की गई है।

कृपया उक्त संबंध में कार्यवाही करते हुए आयोग कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

सचिव
छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग
रायपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक/1475/पि.व.आ./शिका./2009–10 रायपुर दिनांक: 21/05/09

प्रतिलिपि :–

1.पुलिस अधीक्षक, जिला– रायपुर को उचित कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।

सचिव
छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग
रायपुर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग

छत्तीसगढ़ शासन

21–सी, रविनगर, कलेक्ट्रेट के पीछे, रायपुर (छ.ग.)

छ.ग.रा.पि.व.आ. 2009 क्र. 1533 रायपुर दिनांक 12/06/09

आवेदक/अनावेदक/साक्षी को समन

(सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 61 एवं 244)

(अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1995 की धारा 10 क,ख)

पंजीयन क्रमांक	:	164
पंजीकरण दिनांक	:	09.06.09
आवेदक का नाम	:	श्रीमती सगरी बाई पटेल
अनावेदक का नाम	:	1. श्री राम सिंह पटेल
		2. श्री रतन कुमार मंडल

प्रति,

पुलिस अधीक्षक,
जिला– दुर्ग (छ.ग.)

विषयः–शासकीय नौकरी लगाने का झांसा देकर 2 लाख हड़पने की शिकायत की जॉच बाबत्।

छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को शिकायत की गई है आयोग शिकायत को गंभीरता से लेते हुए संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही चाहता है। सगरी बाई की पुत्री कुमारी बेदीन बाई को नौकरी लगाने के लिए रतन कुमार मंडल कर्मचारी शासकीय नेमीचंद्र जैन महाविद्यालय दल्लीराजहरा जिला दुर्ग एवं रामसिंग पटेल सेवा निवृत कर्मचारी भिलाई इस्पात संयत्र निवासी फूटबाल ग्राऊंड दल्लीराजहरा जिला दुर्ग ने 2 लाख रूपये लेकर धोखाधडी की है। नौकरी नहीं लगाने पर राशि वापस मांगे जाने पर झूठे केश में फंसाने की धमकी देते है।

तत्काल जॉच कर उचित कार्यवाही करते हुए प्रतिवेदन एक माह के भीतर आयोग को प्रेषित करे ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

संलग्न :– शिकायत की छायाप्रति।

सचिव
छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग
रायपुर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग

छत्तीसगढ़ शासन

21–सी, रविनगर, कलेक्ट्रेट के पीछे, रायपुर (छ.ग.)

छ.ग.रा.पि.व.आ. 2009 क्र. 1558 रायपुर दिनांक 22/06/09

आवेदक/अनावेदक/साक्षी को समन

(सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 61 एवं 244)

(अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1995 की धारा 10 क,ख)

पंजीयन क्रमांक : 166
पंजीकरण दिनांक : 16.06.09
आवेदक का नाम : श्री महावीर प्रसाद जायसवाल
अनावेदक का नाम : थाना प्रभारी

प्रति,

पुलिस अधीक्षक,
जिला– सरगुजा (छ.ग.)

विषय :– ग्राम राई, तहसील सूरजपुर के दोहरे हत्याकाण्ड के जॉच प्रतिवेदन बाबत्।

छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को शिकायत प्राप्त हुई है। आयोग शिकायत को गंभीरता से लेते हुए संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही चाहता है। श्री महावीर प्रसाद जायसवाल की पुत्री स्व. कमला जायसवाल एवं दामाद कामेश्वर की अज्ञात लोगों के द्वारा घर में घुस कर जघन्य हत्या की गयी है। आवेदक द्वारा थाना प्रभारी सूरजपुर द्वारा असंतोषजनक एवं नकारात्मक कार्यवाही की जाने की शिकायत की गयी है तथा जॉच की मांग की है।

तत्काल जॉच कर उचित कार्यवाही करते हुए प्रतिवेदन एक माह के भीतर आयोग को प्रेषित करे ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

संलग्न :– शिकायत की छायाप्रति।

सचिव
छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग
रायपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक/1559/पि.व.आ./शिका./2009–10 रायपुर दिनांक: 22/06/09

प्रतिलिपि :–

1. श्री महावीर प्रसाद जायसवाल, ग्राम राई, तहसील व थाना सूरजपुर, जिला सरगुजा को सूचनार्थ।

सचिव
छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग
रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय
छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, रायपुर (छ.ग.)

21–सी रविनगर, कलेक्ट्रेट के पीछे, रायपुर (छ.ग.) फोन नं. 0771–2420352

क्रमांक / 1566 / पि.व.आ. / स्था. 2 / 2009–10 रायपुर दिनांक: 30 / 06 / 09

प्रति,

उपसचिव,
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
रायपुर (छ.ग.)

विषय :– छत्तीसगढ़ राज्य में पिछडे अल्पसंख्यकों की जानकारी बाबत्।

संदर्भ :– 1. अब्दुल अली अजीजी, सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के निज सचिव का पत्र दिनांक 14.05.09
2 आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास का पत्र क्र. 1706 / 2009 रायपुर दिनांक 10.06.09

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करना चाहेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची के अंतर्गत मुस्लिम समुदाय की कुछ जातियों एवं हिन्दु समुदाय की जातियों को शामिल किया गया है की जानकारी उपलब्ध करायी गई हैं किन्तु अन्य समुदाय / धर्मावलंबियों की जातियों को छत्तीसगढ़ राज्य में अल्पसंख्यकों की सूची में शामिल है की जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गई है। आयुक्त आदिवासी विकास द्वारा हिन्दु एवं मुस्लिम धर्मावलंबियों के अतिरिक्त अन्य धर्मावलंबियों की जातियों को पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया की जानकारी के साथ अल्पसंख्यक समुदायों की जिलेवार जनसंख्या / प्रतिशत की जानकारी चाही गयी है।

जातियों के संबंध में जानकारी शासन एवं विभाग द्वारा रखा जाता है कि किस जाति को पिछड़े वर्ग में रखा जाना है या नहीं रखा जाना है एवं उनकी जिलेवार जनसंख्या क्या है? यदि विभाग एवं शासन यह चाहती है कि उपरोक्त जानकारी राज्य स्तर से एकत्र किया जाना है तो उक्त सर्वे एवं जानकारी एकत्रित करने के लिए आयोग को पृथक से फण्ड, साधन एवं संसाधन उपलब्ध कराना होगा तभी आयोग द्वारा जानकारी उपलब्ध कराने में सक्षम होगा।

कृपया हिन्दु एवं मुस्लिम धर्मावलंबियों के अतिरिक्त अन्य धर्मावलंबियों की जातियों को पिछड़ा वर्ग में शामिल करने के लिए छत्तीसगढ़ में उपरोक्त समुदाय एवं जातियों के द्वारा अभी तक किसी भी प्रकार की आवेदन / अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया है जिसके कारण इन धर्मावलंबियों एवं जातियों को पिछड़े वर्ग में शामिल करने के लिए कार्यवाही नहीं की गयी है। उपलब्ध जानकारी के अनुरूप हिन्दु और मुस्लिम धर्मावलंबियों को पिछड़ा वर्ग में शामिल सूची अवलोकनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

सचिव
छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग
रायपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक / 1567 / पि.व.आ. / स्था. 2 / 2009–10 रायपुर दिनांक: 30.06.09

1.आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, रायपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग
रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय
छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, रायपुर (छ.ग.)

21–सी रविनगर, कलेक्ट्रेट के पीछे, रायपुर (छ.ग.) फोन नं. 0771–2420352

क्रमांक/1568/पि.व.आ./स्था. 2/2009–10 रायपुर दिनांक: 30/06/09

प्रति,

संचालक,
आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान,
रायपुर (छ.ग.)

विषय :– छत्तीसगढ़ राज्य में पिछड़े अल्पसंख्यकों की जानकारी बाबत्।

संदर्भ :– 1. अब्दुल अली अजीजी, सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के निज सचिव का पत्र दिनांक 14.05.09
2 आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास का पत्र क्र. 1706/2009 रायपुर दिनांक 10.06.09

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करना चाहेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची के अंतर्गत मुस्लिम समुदाय की कुछ जातियों एवं हिन्दु समुदाय की जातियों को शामिल किया गया है की जानकारी उपलब्ध करायी गई हैं किन्तु अन्य समुदाय/धर्मावलंबियों की जातियों को छत्तीसगढ़ राज्य में अल्पसंख्यकों की सूची में शामिल है की जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गई है। आयुक्त आदिवासी विकास द्वारा हिन्दु एवं मुस्लिम धर्मावलंबियों के अतिरिक्त अन्य धर्मावलंबियों की जातियों को पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया की जानकारी के साथ अल्पसंख्यक समुदायों की जिलेवार जनसंख्या/प्रतिशत की जानकारी चाही गयी है।

जातियों के संबंध में जानकारी शासन एवं विभाग द्वारा रखा जाता है कि किस जाति को पिछड़े वर्ग में रखा जाना है या नहीं रखा जाना है एवं उनकी जिलेवार जनसंख्या क्या है ? हिन्दु एवं मुस्लिम धर्मावलंबियों के अतिरिक्त अन्य धर्मावलंबियों की जातियों को पिछड़ा वर्ग में शामिल करने के लिए छत्तीसगढ़ में उपरोक्त समुदाय एवं जातियों के द्वारा अभी तक किसी भी प्रकार की आवेदन/अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया है जिसके कारण इन धर्मावलंबियों एवं जातियों को पिछड़े वर्ग में शामिल करने के लिए कार्यवाही नहीं की गयी है।

कृपया हिन्दु एवं मुस्लिम धर्मावलंबियों के अतिरिक्त अन्य धर्मावलंबियों की जातियों को पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया की जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि आयुक्त आदिवासी विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन रायपुर को जानकारी उपलब्ध कराया जा सके।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

सचिव
छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग
रायपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक/1569/पि.व.आ./स्था. 2/2009–10 रायपुर दिनांक: 30/06/09

1. आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, रायपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. उपसचिव आदिवासी विकास विभाग, रायपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
3. सचिव, अल्पसंख्यक आयोग, रायपुर हिन्दु एवं मुस्लिम धर्मावलंबियों के अतिरिक्त अन्य धर्मावलंबियों की जातियों को पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया की जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

सचिव
छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग
रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय
छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, रायपुर (छ.ग.)

21–सी रविनगर, कलेक्ट्रेट के पीछे, रायपुर (छ.ग.) फोन नं. 0771–2420352

क्रमांक / 1588 / पि.व.आ. / शिका. / 2009–10 रायपुर दिनांक: 14 / 07 / 09

प्रति,

संचालक,
आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान
रायपुर (छ.ग.)

विषय :– छत्तीसगढ़ राज्य में भोई जाति का पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र जारी नहीं होने बाबत्।

छत्तीसगढ़ राज्य में यह शिकायत प्राप्त हुई है कि भोई जाति को पिछड़ा वर्ग में शामिल होने के बावजूद तहसीलदार भोपालपटनम द्वारा प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा-दिनांक 26 दिसम्बर 1984 मध्य प्रदेश राजपत्र, भाग – 1, दिनांक 08 फरवरी 1985 में प्रकाशित सूची के तहत पिछड़ा वर्ग की सूची जारी की गई है सूची (प्रदर्श – ए) संलग्न हैं। जिसमें अनुक्रमांक 12 में ढीमर, भोई, कहार, धीवर, मल्लाह आदि जातियों को पृथक–पृथक जाति मानते हुए पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया है जिसके तहत् भोई एवं कहार जातियों को पृथक–पृथक जातियों के रूप में प्रमाण पत्र जारी होते रहे है, किन्तु छत्तीसगढ़ राज्य आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रायपुर द्वारा जारी सूची (प्रदर्श – बी) के अनुक्रमांक 12 में भोई एवं कहार को भोई कहार जाति के रूप में एक ही जाति का उल्लेख है। कृपया यह अवगत कराने का कष्ट करें कि क्या छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद भोई जाति को समाप्त कर भोई कहार लिखा गया है या कार्यालयीन त्रुटि के कारण भोई कहार के बीच में कामा (,) लिखा जाना छुट गया है।

अतः यदि भोई जाति को समाप्त कर भोई कहार लिखा गया है तो या भोई और कहार पृथक–पृथक जातियाँ है तो जानकारी आयोग को देते हुए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को भी अवगत कराने का कष्ट करे ताकि भोई जाति के पात्र लोगों को मिलने वाली सुविधा से वंचित न होना पड़े।

संलग्न. :– उपरोक्तानुसार।

सचिव
छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग
रायपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक / 1589 / पि.व.आ. / शिका. / 2009–10 रायपुर दिनांक: 14 / 07 / 09

प्रतिलिपि :–

1. उपसचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर, को सूचनार्थ।
2. श्री एम. वैंकट स्वामी, ग्राम व पोस्ट मद्देड़, तह. भोपालपटनम, जिला बीजापुर को सूचनार्थ।

सचिव
छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग
रायपुर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग

छत्तीसगढ़ शासन

21–सी, रविनगर, कलेक्ट्रेट के पीछे, रायपुर (छ.ग.)

छ.ग.रा.पि.व.आ. 2009 क्र. 1618 रायपुर दिनांक 27/07/09

आवेदक/अनावेदक/साक्षी को समन

(सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 61 एवं 244)

(अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1995 की धारा 10 क,ख)

पंजीयन क्रमांक : 178
पंजीकरण दिनांक : 21.07.09
आवेदक का नाम : श्री संतराम उनसेना
अनावेदक का नाम : थाना प्रभारी घरघोडा

प्रति,

पुलिस अधीक्षक
जिला– रायगढ़ (छ.ग.)

विषय :– थाना घरघोडा के हेड कांस्टेबल श्री बेहरा एवं कांस्टेबल श्री पटेल द्वारा मारपीट करने की शिकायत की जॉच बाबत्।

छ.ग.राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग रायपुर को शिकायत प्राप्त हुई है कि बांस कटाई के विवाद के संबंध में हेड कांस्टेबल श्री बेहरा एवं सिपाही श्री पटेल द्वारा दिनांक 20.06.09 को थाना बुलाकर आवेदक संतराम एवं पुत्र राजेन्द्र कुमार की पिटाई की गई। आयोग शिकायत को गंभीरता से लेते हुए संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही चाहता है।

तत्काल जॉच कर उचित कार्यवाही करते हुए प्रतिवेदन 1 माह के भीतर आयोग को प्रेषित करे ताकि अग्रिम कार्यवाही किया जा सके।

संलग्न :– शिकायत की छायाप्रति।

सचिव
छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग
रायपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक/1619/पि.व.आ./शिका./2009–10 रायपुर दिनांक: 27/07/09

प्रतिलिपि :–

1. श्री संतराम उनसेना ग्राम झांका दरहा, पोस्ट देवगढ़, थाना व तह. घरघोड़ा जिला रायगढ़ को सूचनार्थ।

सचिव
छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग
रायपुर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग

छत्तीसगढ़ शासन

21–सी, रविनगर, कलेक्ट्रेट के पीछे, रायपुर (छ.ग.)

छ.ग.रा.पि.व.आ. 2009 क्र. 1627 रायपुर दिनांक 28/07/09

आवेदक/अनावेदक/साक्षी को समन

(सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 61 एवं 244)

(अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1995 की धारा 10 क,ख)

पंजीयन क्रमांक : 172
पंजीकरण दिनांक : 01.07.09
आवेदक का नाम : श्री रामकुमार वर्मा
अनावेदक का नाम : थाना प्रभारी भाठापारा

प्रति,

पुलिस अधीक्षक,
जिला– रायपुर (छ.ग.)

विषय :– एफ.आई.आर. दर्ज न करते हुए कार्यवाही न करने की शिकायत की जॉच बाबत्।

छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग रायपुर में श्री रामकुमार वर्मा, भाठापारा के साथ आशीष वर्मा, पप्पू धोबी, जग्गू धोबी एवं अन्य ने शराब के नशे में पत्थर से मारा, अभद्र गली गलौच एवं जान से मारने की धमकी देते हुए मार पीट की जिस पर थाना प्रभारी भाठापारा द्वारा एफ. आई. आर. दर्ज न करते हुए पुलिस हस्तक्षेप अयोग्य मामला मानते हुए कार्यवाही नहीं की है। आयोग शिकायत को गंभीरता से लेते हुए संबंधित के विरूद्ध कार्यावाही चाहता है।

तत्काल जॉच कर उचित कार्यवाही करते हुए प्रतिवेदन 1 माह के भीतर आयोग को प्रेषित करे ताकि अग्रिम कार्यवाही किया जा सके।

संलग्न :– शिकायत की छायाप्रति।

सचिव
छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग
रायपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक/1628/पि.व.आ./शिका./2009–10 रायपुर दिनांक: 28/07/09

प्रतिलिपि :–

1.श्री रामकुमार वर्मा, मुंशी स्माईल वार्ड, भाठापारा, जिला– रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।

सचिव
छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग
रायपुर (छ.ग.)

// कार्यालय पुलिस अधीक्षक रायपुर (छ०ग०) //

क्रमांक–पु.अ./राय./शिका./ओ.एच.आर.सी./12/आर/3036–ए/09 दिनांक 22.06.09

प्रति,

सचिव,
छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग,
छत्तीसगढ़ शासन,
सी–21, रविनगर, कलेक्ट्रेट के पीछे, रायपुर (छ0ग0)

विषय :– आवेदक रामकुमार नायक साकिन लटूवा थाना बलौदा बाजार जिला रायपुर के द्वारा प्रस्तुत शिकायत पत्र की जांच प्रतिवेदन।

संदर्भ :– आपका पत्र क्रमांक/1475/छ0ग0रा0पि0व0आ0/09 रायपुर दिनांक 21.05.09

––00––

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करे। जिसके माध्यम से आवेदक रामकुमार नायक द्वारा प्रस्तुत शिकायत पत्र की जॉच थाना प्रभारी बलौदा बाजार, जिला रायपुर से करायी जाकर प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। जॉच में पाया गया कि आवेदक रामकुमार नायक एवं अनावेदक अमरू नायक एक ही जाति के है। अनावेदक के घर के पास आवेदक का घुरवा है। दिनांक 14.04.09 को सुबह 8.00 बजे अमरू नायक अपने घर के पास मूरूम लाकर गिराया तो मूरूम आवेदक रामकुमार के घुरवा में चला गया तो आवेदक अपने पिता के साथ मिलकर अनावेदक अमरू नायक के साथ अश्लील गाली–गलौच एवं मारपीट कर जान से मारने की धमकी दिया जिस पर अनावेदक अमरू नायक द्वारा रिपोर्ट करने पर थाना बलौदा बाजार में अपराध क्रमांक 134/09 धारा 294,323,506(बी) भा0द0वि0 कायम कर विवेचना में लिया गया। आवेदक रामकुमार एवं उनके पिता के विरूद्ध संकलित साक्ष्य के आधार पर अपराध सबूत पाये जाने से दिनांक 18.04.09 गिरफ्तार कर जमानती मामला होने से जमानत मुचलका पर रिहा कर दिनांक 20.04.09 को चालान जे.एम.एफ.सी. बलौदा बाजार न्यायालय में पेश किया गया है।

कृपया जॉच प्रतिवेदन अवलोकनार्थ सादर प्रेषित है।

संलग्न :– मूल पत्र 01

पुलिस अधीक्षक
रायपुर

अध्याय - 11

छत्तीसगढ़ राज्य में पिछड़ा वर्ग के सर्वेक्षण के लिए उठाये गए कदम

प्रदेश में निवासरत पिछड़े वर्गों के लोगों के विकास और कल्याण तथा सामाजिक उत्थान हेतु राज्य सरकार के संकल्प को पूर्ण करने की दिशा में आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग के समुदाय के लोगों को संवैधानिक अधिकारों के हितप्रहरी का दायित्व निर्वहन करते हुए कार्य प्रारम्भ किया है। आयोग के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती सम्पूर्ण छ.ग. राज्य में फैले हुए अन्य पिछड़ा वर्ग के लगभग 52% जनसंख्या को उनके अधिकार व न्याय दिलाने के संबंध में एक आधारगत चुनौती थी जिसे आयोग के सम्मानीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशन में उचित ढंग से निर्वहन करते हुए इस दिशा में सर्वप्रथम जन-जन तक आयोग के कार्यो का प्रचार-प्रसार किया गया। इस कड़ी में नवगठित आयोग ने एक वर्ष के कार्यकाल में सबसे पहला कदम सम्पूर्ण छ.ग. राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के जनसंख्या का निर्धारण करने की ओर बढ़ाया जिसके लिए छ.ग. राज्य में सर्वेक्षण जैसा प्राथमिक कदम उठाना आवश्यक था।

सर्वेक्षण किसका हो ?

छ.ग. राज्य में कुल 18 जिलों में वर्तमान में कितनी जनसंख्या अन्य पिछड़ा वर्ग की निवास कर रहीं है। इस जनसंख्या में कितनी अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियां, उप जातियां निवासरत है एवं उनकी संख्या का प्रतिशत किस स्तर पर कितना है। सर्वेक्षण के माध्यम से ज्ञात किया जायेगा कि छ.ग. में निवासरत अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों में सामाजिक, राजनैतिक व आर्थिक विकास का स्तर किस प्रकार से बढ़ रहा है।

सर्वेक्षण की आवश्यकता क्यों ?

सबसे महत्पूर्ण कार्य सर्वेक्षण के माध्यम से नवीनतम अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची तैयार करना है। वर्ष 2000 में म.प्र. से विभाजन के उपरांत छ.ग. राज्य ने म.प्र. द्वारा तैयार की गई सूची का अनुकूलन करते हुए कार्य किया हैं। म.प्र. व छ.ग. की संयुक्त सूची में कुछ जातियां ऐसी है। जिस जाति के लोग म.प्र. के जिलों में निवासरत है। कुछ जातियां बटवारे में छ.ग. राज्य में निवासरत हैं जिनका नाम आज भी म.प्र. के अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल है। अतः सर्वेक्षण के माध्यम से म.प्र. व छ.ग. की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल है। अतः सर्वेक्षण के माध्यम से म.प्र. व छ.ग. की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची का नवीनीकरण जैसा महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण होगा। साथ ही साथ राज्य के बेरोजगार युवाओं को जीवन-यापन हेतु कार्य प्रदान किया जा सकेगा।

सर्वेक्षण कस होगा ?

सर्वेक्षण हेतु दिनांक 18.01.08 की बैठक में आयोग में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सर्वप्रथम गणतंत्र दिवस के विज्ञापन के साथ समाचार पत्रों में इसका विज्ञापन देकर बेरोजगार नवयुवक व युवतियों एवं गैर सरकारी संगठनों को इस कार्य हेतु आमंत्रित किया जायेगा। इस कार्य हेतु उनसे निर्धारित प्रपत्र में कार्य का विवरण प्राप्त किया जायेगा। तद्उपरांत आयोग को प्राप्त बजट में से कार्य व जिले निर्धारित करते हुए आवेदकों से सर्वेक्षण कराया जायेगा।

अध्याय - 12

छत्तीसगढ़ राज्य में पिछड़ा वर्ग के विकास हेतु संचालित योजनाएं

1. राज्य छात्रवृत्ति :-

पिछड़े वर्ग के छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु राज्य छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत 6वीं से 10वीं तक अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को लाभान्वित किया जाता है। योजना के अन्तर्गत उन छात्र-छात्राओं को लाभ मिलता है, जिनके पिता/पालक आयकर दाता नहीं है एवं 10 एकड़ से कम जमीन है। 6वीं से 8वीं के छात्रों को 150 व छात्राओं को 225 एवं 9वीं से 10वीं के छात्रों को 225 एवं छात्राओं को 300 की छात्रवृत्ति 10 माह के लिए दी जाती है।

2. पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति :-

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत कक्षा 11वीं एवं उससे उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जाती है। यह छात्रवृत्ति उन छात्र-छात्राओं को दी जाती है जिनके पिता/पालक की वार्षिक आय 25,000 रूपये से अधिक न हो।

3. प्रावीण्य छात्रवृत्ति :-

पिछडा वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु इस योजना के तहत् प्रत्येक जिले में पिछड़ा वर्ग के 5वीं बोर्ड परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्तकर्ता एक बालक बालिका को 40 रू. प्रतिमाह व 8वीं बोर्ड में सर्वाधिक अंक प्राप्तकर्ता बालक-बालिका को 50 रू. प्रतिमाह की दर से 10 माह के लिये प्रावीण्य छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

4. निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का प्रदाय

इस योजना के अंतर्गत कक्षा 9वीं एवं 10वीं में अध्ययनरत छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्रदान की जाती है। कक्षा 1 से 8वीं तक की छात्राओं को राजीव गांधी शिक्षा मिशन के अन्तर्गत पाठ्य पुस्तक वितरीत की जाती है।

5. पिछड़ा वर्ग छात्रावास

इस योजना में पिछड़ा वर्ग के लिये क्रमशः रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ एवं दुर्ग में पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास संचालित है, जिसमें कक्षा 11वीं से स्नातकोत्तर तक की छात्राएं प्रवेश पाती है। इन छात्रावासों में कुल 300 सीट स्वीकृत हे। इसी तरह जिला, मुख्यालय कवर्धा में 50 सीट की प्री. मैट्रिक बालक छात्रावास संचालित है, जो 50 सीट की है।

6. हाईस्कूल की बालिकाओं को सायकल प्रदाय :–

वित्तीय वर्ष 2007–08 में पिछड़ा वर्ग की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की ऐसी बालिकाओं को सायकल वितरण का निर्णय लिया गया जो कक्षा 9वीं में अध्ययनरत हैं। प्रक्रिया जारी है।

7. नाई पेटी का प्रदाय :–

नाई पेटी योजना के वर्ष 2006–07 से संचालित है। योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में परम्परागत रूप से नाई के काम करने वाले व्यक्तियों को नाई पेटी व सेलून किट्स प्रदान किया जाता है। ग्रामों में 500 जनसंख्या तक एक हितग्राही व 500 से ऊपर की जनसंख्या में दो हितग्राही को लाभान्वित किया जाता है।

8. दामाखेड़ा का समन्वित विकास योजना :–

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2007–08 में 10 लाख का प्रावधान किया गया है जिसमें दामाखेड़ा ग्राम के विकास हेतु व्यय किया जा रहा है।

9. पायलट प्रशिक्षण योजना :–

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के तीन युवकों को निःशुल्क पायलट प्रशिक्षण की योजना वर्ष 2007–08 से प्रारंभ की गई है।

10. रोजगार मूलक योजनाएं :–

पिछड़े वर्गों के बेरोजगार युवक युवतियों को स्वरोजगार स्थापित कर अपने पैरों में खड़ा करने के लिए अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम द्वारा निम्नांकित कार्यों के लिए ऋण प्रदान किया जाता है :–

1. कृषि एवं संबंधित क्षेत्र।
2. लघु व्यापार/दस्तकारी एवं पारम्पारिक व्यवसाय ।
3. सेवा क्षेत्र
4. परिवहन सेवाएं इत्यादि।

उद्देश्य :–

1. पिछड़े वर्गों के लाभ के लिये आर्थिक एवं विकासात्मक कार्यकलापों को बढ़ावा देना।
2. पिछड़े वर्गों के लिए स्वतः रोजगार तथा अन्य कार्य के अवसरों को प्रोत्साहित करना।
3. गरीबी रेखा तथा दोहरी गरीबी रेखा के नीचे के पिछड़े वर्गों से संबंधित व्यक्तियों हेतु चयनित मामलों में रियायती वित्त उपलब्ध करना।
4. पिछड़े वर्गों को स्नातक एवं उच्चतर स्तरों पर सामान्य/व्यावसायिक तकनीकी शिक्षा या प्रशिक्षण हेतु ऋण प्रदान करना।

उक्त कार्य क्षेत्रों/उद्देश्यों के लिये पिछड़े वर्ग के बेरोजगार युवक–युवतियों में निम्नानुसार योजनाओं के तहत रोजगार के अवसर ऋण सुविधा के माध्यम से दिए जाते हैं।

1. सावधी ऋण योजना :– सावधी ऋण योजना :–
   पिछड़े वर्ग के लिए इस योजना के अंतर्गत परियोजना लागत का 85% अधिकतम 5 लाख रूपये प्रति लाभार्थी ऋण दिया जाता है।
2. मार्जिन मनी :–
   इस योजना में परियोजना लागत का 40% अधिकतम 2 लाख रूपये प्रति लाभार्थी ऋण दिया जाता है।
3. माइक्रो फाइनेंस योजना :–
   यह योजना तृणमूल स्तर पर लागू करने एवं लक्षित वर्ग विशेष कर महिला लाभार्थियों के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध कराते हैं। इस योजना के अंतर्गत अधिकतम ऋण की सीमा प्रति लाभार्थी 25,000 रूपये है।
4. नई स्वर्णनिमा :–
   पिछड़े वर्ग की महिलाओं में आत्म निर्भरता की भावना जागृत करने हेतु निगम द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले महिलाओं के लिए संचालित की गई है।
5. शैक्षणिक ऋण योजना :–
   पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों जो दोहरी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, को स्नातक एवं उच्च स्तर पर सामान्य/व्यवसायिक/तकनीकी शिक्षा अथवा प्रशिक्षण हेतु शैक्षिक ऋण प्रदान किया जाता है।
6. स्वयं सक्षम योजना :–
   पिछड़े वर्ग क उन युवाओं में जिन्होंने व्यवसायिक शिक्षा/प्रशिक्षण प्राप्त किया है, स्वरोजगार के माध्यम से अपने अनुभव एवं बौद्धिक कौशल का उपयोग करते हुए आत्म निर्भरता की भावना पैदा करने के लिये लक्षित वर्ग के युवाओं को ऋण दिया जाता है।
7. महिला समृद्धि योजना :–
   पिछड़े वर्ग की पात्र महिलाओं को लघु ऋण प्रदान करने हेतु यह योजना लागू की गई है। यह योजना एस.सी.ए. द्वारा शहरी एवं ग्रामीण सभी क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाली महिलाओं के स्व–सहायता समूहों के माध्यम से कार्यान्वित की गई है।
8. प्रशिक्षण योजना :–
   पिछड़े वर्ग के सदस्यों को तकनीकी एवं उद्यमिता दक्षता के प्रोन्नति हेतु निगम द्वारा परियोजना संबद्ध प्रशिक्षण हेतु वित्त सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का उद्देश्य लक्षित वर्ग को पारम्परिक एवं तकनीकी व्यवसायों एवं उद्यमिता के क्षेत्र में उपयुक्त तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान कर योग्य एवं निर्भर बनाना है।
9. विपणन संयोजन :–
   समय–समय पर राज्य के पिछड़े वर्गों के कारीगरों द्वारा तैयार की गई उत्पादित वस्तुओं को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मेला, प्रगति मैदान, दिल्ली हाट एवं सूरज कुण्ठ क्राफ्ट मेले में प्रदर्शनी का अवसर प्रदान कराकर अन्य विकासात्मक कार्यकलापों को भी प्रोत्साहित किया जाता है।

अध्याय - 13

पिछड़ा वर्ग आयोग को प्रेषित की जाने वाली पूरक जानकारी हेतु प्रपत्र

कृपया निम्नांकित प्रपत्र में उस जाति वर्ग के सम्बन्ध में जानकारी देने का कष्ट करें । जिसे आप पिछड़े वर्गो की सूची में शामिल कराना चाहते है अथवा उन्हें सूची से निकलवाना वाहते हैं ।

1. जाति/वर्ग का नाम .....
2. उप जातियों के नाम .....
3. उपाधि या सरनेम जो प्रचलन में हो .....
4. समानार्थी जाति/वर्ग का नाम .....
5. उन जातियों के नाम जिन्हें आप आर्थिक एवं सामाजिक रूप से समान स्तर की मानते है । .....
6. शामिल की जाने वाली जाति का मूल निवास स्थान .....
7. वर्तमान में कहां–कहां निवास करती है .....
8. जहां निवास करती है वहां अन्य कौन–कौन सी जातियां है जो प्रस्तावित जाति या वर्ग से उच्च समझी जाती है । .....
9. कौन सी जाति वर्ग नीचा या पिछड़ा माना जाता है । .....
10. जातियों (वर्गों) की अनुमानित जनसंख्या .....
11. पिछड़ेपन का आधार क्या है :–
    1. शैक्षणिक .....
    2. सामाजिक .....
    3. आर्थिक .....
    4. शासकीय सेवाओं में नियोजन .....
    5. अन्य .....
12. मुख्य व्यवसाय .....
13. परम्परागत व्यवसाय .....
14. क्या आप समझते है कि पिछड़े वर्गो की सूची में जिन वर्गो को शामिल किया गया है आपकी स्थिति उनसे भिन्न नहीं है अथवा भिन्न है तो किस आधार पर :

15. क्या आप समझते हैं कि किसी विशेष जाति या वर्ग को सूची में शामिल नहीं किया जाना चाहिए तो उस जाति/वर्ग का नाम :

16. कारण :

17. क्या आप समझते है कि सूची में शामिल जाति या वर्ग की तुलना में अन्य जाति/वर्ग ऐसे है जो अधिक पिछड़े हैं नाम लिखे :

18. अपने तर्क की पुष्टि हेतु यदि कोई प्रमाण देना चाहें तो उसका उल्लेख करें :

क्र.	जिले/गांव का नाम	अनुमानित जनसंख्या	शिक्षा					शासकीय नौकरी				विभिन्न व्यवसाय	कृषि में निर्भरता का प्रतिशत
			8वीं	10वीं	12वीं	स्ना.	स्नात.	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी	चतुर्थ श्रेणी		
1	बस्तर												
2	कांकेर												
3	दंतेवाड़ा												
4	नारायणपुर												
5	बीजापुर												
6	धमतरी												
7	बिलासपुर												
8	कोरबा												
9	रायपुर												
10	महासमुंद												
11	सरगुजा												
12	जशपुर												
13	रायगढ़												
14	जांजगीर चांपा												
15	कोरिया												
16	कवर्धा												
17	राजनांदगाँव												
18	दुर्ग												

आवेदक

स्थान .....

दिनांक .....

नाम .....

पता .....

.....

अध्याय - 14

छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को प्राप्त जाति संबंधी आवेदनों पर कार्यवाही

छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग रायपुर द्वारा प्राप्त गुरव, राजभर, ओडिया, कुन्बी, मौवार, मल्लाह (मलहा), गुर्जर (अहीर, भोरतिया), गोपाल, कलवार इत्यादि जातियों के आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिन पर आयोग ने कार्यवाही करते हुए अनुसंधान/अध्ययन/अभिलेख संग्रहण द्वारा उक्त जातियों का शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक स्तर पर परीक्षण किया आयोग के सचिव एवं अनुसंधान अधिकारी छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न जिलों में व्यक्ति गत रूप से समाज प्रमुखों से भेंट की। दिनांक 29.03.09 को ओडिया जाति की जॉच हेतु रायपुर जिले के खरोरा, आरंग क्षेत्र का भ्रमण किया गया तथा उक्त जाति के भू–राजस्व अभिलेखों में ओडिया दर्ज होना पाया गया। इस जाति के सदस्य ने सागरवंशी (ओडिया) जाति को शामिल किये जाने संबंधी मांग की थी जो अभिलंबित है। गुरव जाति के समाज प्रमुखों भेंट करने 27.07.09 को राजनांदगांव जिले तथा दिनांक 25.04.09 को दुर्ग जिले के बालोद भिलाई और दल्लीराजहरा क्षेत्र का भ्रमण किया तथा पाया की गुरव जाति के छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 200 परिवार निवासरत है। गुरव जाति के सदस्यों को प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है अतः आयोग की टीम ने जिले के संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया। दिनांक 23.07.09 को मल्लाह (मलहा) जाति के अनुसंधान हेतु कवर्धा के गंडई एवं अन्य ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण किया तथा पाया की मल्लाह जाति अनुक्रमांक 12 पर छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग में शामिल है एवं वे लोग अत्यंत पिछड़ी हुई स्थिति में होने के कारण इससे अनभिग्य है। आयोग के अनुसंधान टीम द्वारा उन्हें सुझाव दिये गये। दिनांक 12.06.09 को कलवार जाति के प्राप्त आवेदन पत्र पर जॉच हेतु अनुसंधान अधिकारी द्वारा अम्बिकापुर के ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण किया गया तथा यह पाया की ये लोग छत्तीसगढ़ राज्य में कलार जाति के नाम से अनुसूची में अनुक्रमांक 42 पर शामिल है तथा कलवार जाति मुलतः उत्तर प्रदेश में निवासरत हैं एवं 26.12.1984 के उपरांत छत्तीसगढ़ में प्रव्रजन होकर आये है। दिनांक 30.07.09 से अम्बिकापुर, कोरिया, कोरबा, बिलासपुर जिलों का सघन दौरा गुर्जर जाति के राजस्व अभिलेखों की जॉच हेतु किया गया जिसमें पाया गया की गुर्जर 26.12.1984 के पूर्व छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवजन होकर आये है। तथा इनके राजस्व अभिलेख में अम्बिकापुर, और कोरिया जिले में भोरतिया जाति तथा कोरबा और बिलासपुर में अहीर जाति दर्ज है जबकि ये लोग वास्तव में गुर्जर हैं तथा शैक्षणिक अभिलेखों में गुर्जर जाति लिखी हुई है। छ.ग. राज्य पिछड़ा की अनुसूची में अनुक्रमांक 28 पर गुर्जर जाति शामिल है। कोरबा, दुर्ग, कोरिया जिलें में निवासरत राजभर जाति के सदस्यों का पुस्तकीय अनुसंधान प्रतिवेदन तैयार कर क्षेत्र भ्रमण का कार्य किया जाना है। छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को प्राप्त रौनियार जाति के पुस्तकीय प्रतिवेदन एवं राजस्व अभिलेख का संग्रहण कार्य किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से जातियों के आवेदन पत्र प्राप्त हुए। परीक्षण से यह सामने आया कि अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में ज्ञनदइप जाति को हिन्दी भाषा में अनुवाद करते समय "कुनबी" लिखा

गया जबकि कुछ व्यक्तियों के राजस्व अभिलेखों में "कुन्बी" दर्ज है। इसी तरह गोसाई जाति को मात्रात्मक त्रुटि के वजह से गुसाई तथा मौवार जाति को मोवार लिखा गया है।

इस संबंध में सबंधित जिलों के भ्रमण तथा राजस्व अधिकारी के अभिमत के उपरांत उक्त जातियों को शामिल करने हेतु आयोग के द्वारा उनके रहन सहन, रीती–रिवाज, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक स्तर की जॉच बाबत् अनुसंधान भ्रमण किया गया एवं मात्रात्मक त्रुटि मानते हुए शासन को अनुशंसा प्रेषित की गई।

"मौवार जाति" को छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल करने बाबत् कार्यवाही

छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को मौवार जाति के श्री वकील प्रसाद अध्यक्ष मौवार जाति समाज ग्राम आठारहगढ़, वि.ख. सारंगढ़, जिला रायगढ़ से आवेदन पत्र प्राप्त हुआ की छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग की सूची में मौवार जाति शामिल न किये जाने के कारण शासन से प्राप्त सुविधाओं का लाभ लेने के लिए उक्त जाति के लोगों को कठिनाईयों का सामना करने पड़ रहा है। दिनांक 14.04.08 को रायगढ़, रायपुर, बिलासपुर, जांजगीर के विभिन्न क्षेत्रों को अध्ययन किया गया जाहां श्री हिरासिंग मैत्री सरपंच, ग्राम भोथली, तह. सारंगढ़, जिला रायगढ़ से चर्चा के दौरान ज्ञात हुआ की छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग की अनुसूची में अनुक्रमांक 60 पर मोवार जाति का लेख है, जबकि मोवार नाम से संबंधित कोई जाति छत्तीसगढ़ में निवासरत नहीं है यह मात्रात्मक त्रुटि है। दिनांक 26.08.08 को आयोग में उपस्थित रायपुर जिले में निवासरत मौवार जाति के सदस्यों ने आयोग में आकर मान. अध्यक्ष महोदय से भेंट की तथा अपनी समस्याओं से अवगत कराया।

"कुन्बी जाति" को छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल करने बाबत् कार्यवाही

छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में भोपालपटनम, बीजापुर से कुन्बी जाति को शामिल करने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुआ तथा समाज के अध्यक्ष/सदस्यों ने दिनांक 28.03.08 को आयोग में उपस्थित हो अपनी समस्या से अवगत कराया की कुन्बी जाति के सदस्यों को मात्रात्मक त्रुटि के वजह से जाति प्रमाण पत्र बनाने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है तथा अंग्रेजी में ज्ञनदइप शब्द का अनुवाद "कुनबी" एवं "कन्बी" दोनों किये जाने के कारण समस्याएं उत्पन्न हो रही है। दिनांक 21.02.09 को आयोग की टीम ने उक्त जिले के निवासियों से क्षेत्र में जाकर चर्चा की तथा कुन्बी जाति को मात्रात्मक एवं उच्चारण संबंधित त्रुटि के कारण प्रदत्त शासकीय सुविधाओं को प्राप्त करने में उत्पन्न कठिनाई को देखते हुए कुन्बी जाति के अनुशंसा शासन को प्रेषित की है।

"गोसाई जाति" को छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल करने बाबत् कार्यवाही

छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में श्री बशजेन्द्र गीरी, ग्राम आसनडीह, तह. वार्डफनगर, द्वारा दिये गये

आवेदन पत्र पर आयोग ने विचार करते हुए अपने स्तर पर परीक्षण किया और पाया की ये लोग भीक्षवश्त्ती एवं मंदिरों में महंत का कार्य करते है शिक्षा में भी इनकी को रूचि नहीं है। छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में क्रमांक 27 पर गुसाई जाति का उल्लेख है जबकि गुसाई नाम की जाति छत्तीसगढ़ में निवासरत नहीं है ये वास्तव में गोसाई जाति है। ये सामाजिक, शैक्षणिक स्तर पर पिछड़े हुए है अतः शासन की सुविधाओं का लाभ इन्हें प्राप्त होना चाहिए ताकि इनक सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक विकास हो सके। अतः निवासरत गोसाई जाति को छत्तीसगढ़ की पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल करने हेतु आयोग द्वारा अनुशंसा की गई।

"गोपाल जाति" को छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल करने बाबत् कार्यवाही

छत्तीसगढ़ राज्य में जांजगीर–चांपा जिलें के ग्राम बरपाली में निवासरत श्री राजेन्द्र कुमार सिन्दे का आवेदन पत्र प्राप्त हुआ जिस पर सचिव द्वारा दिनांक 15.03.08 को उपस्थित होकर इनके परम्परागत व्यवसाय, शैक्षणिक, सामांजिक स्तर आदि के संबंध में परीक्षण किया गया। 100 से अधिक वर्षों से निवासरत 50 घरों में रहने वाले ये लोग कुल संख्या में 400 से अधिक नहीं है। इन्हें शासन से प्राप्त सुविधाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है अतः इन्हें छ.ग. राज्य की सूची में अनुक्रमांक 01 पर शामिल किये जाने बाबत् अनुशंसा शासन को प्रेषित की गई।

अध्याय - 15

छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को प्राप्त शिकायत पर आयोग के द्वारा कृत कार्यवाही

छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को श्री आर.सी. कोरे दुर्ग, संजय कुमार साहू, बिलासपुर, भुमिका देवांगन, विनय देवांगन, रायपुर, निशांत कौशिक, बिलासपुर, चंद्रकांत कश्यप रायपुर, मधुमाधव देव धमतरी के द्वारा आयोग को जाति प्रमाण पत्र संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई जिस पर आयोग ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए उचित कार्यवाही की। श्री दिलीप नामदेव, इन्द्रा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ द्वारा आयोग को शिकायत प्राप्त हुई एकल पद प्राणाली के तहत पदस्थ किये जाने के कारण उन्हें पदोन्नति प्राप्त नहीं हो रही है। उक्त संबंध में आयोग द्वारा विश्वविद्यालय के मैनुअल का परीक्षण किया एवं पाया की आवेदक स्वेच्छा से एकल प्राणाली पद पर नियुक्त हुआ था। अतः उसे पदोन्नति नहीं दी जा सकती।

ग्राम राई तह. सूरजपुर, के निवासरत श्री महावीर प्रसाद जायसवाल, के बेटी दमाद के दोहरे हत्या काण्ड के संबंध में थाना प्रभारी द्वारा उचित कार्यवाही न करने की शिकायत आयोग में की गई थी आयोग द्वारा पुलिस अधीक्षक से जॉच प्रतिवेदन की मांग की गई है। राम कुमार नायक ग्राम लटुवा बलौदा बाजार तथा रामकुमार वर्मा भाटापारा रायपुर द्वारा भी थाना प्रभारी के विरूद्ध शिकातय की थी जिस पर आयोग कार्यवाही करते हुए पुलिस अधीक्षक से जॉच प्रतिवेदन मांगा है। ग्राम बलियारा जिला धमतरी के स्वतंत्र कौशल के विरूद्ध आयोग में रामकृष्ण साहू, पूरण साहू एवं अन्य 6 व्यक्तियों ने शिकातय की थी एवं शिक्षाकर्मी हेतु 17 लाख का गबन अनावेदक स्वतंत्र कौशल द्वारा किया गया है। आयोग द्वारा पुलिस अधीक्षक को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया है। कृष्ण कुमार पटेल वाहन चालक श्रम आयुक्त कार्यालय रायपुर द्वारा उपेक्षित व्यवहार पर कार्य से निकाले जाने की शिकायत की है। आयोग द्वारा इस संबंध में श्रम उपायुक्त प्रकरण पर कार्यवाही हेतु उपस्थित होने को कहां गया है। श्रीमती जयंती सिन्हा द्वारा विज्ञान महाविद्यालय रायपुर के प्राचार्य के विरूद्ध शिकातय की गई है कि संविधान में प्रदत्त अधिकारों का हनन करते हुए सवर्ण जाति को संरक्षण दियां जा रहा है। आयोग ने अनावदेक को उपस्थित होने पर संपदा विभाग से नियामावली प्राप्त कर अवैधानिक रूप से महाविद्यालय में निवासरत निवश्त्तमान कर्मचारी को नोटिस देने हेतु निर्देश दिया है। श्री आर.एन. यादव, मानचित्रकार खरसिया, रायगढ़ द्वारा कार्यपालन अभियंता केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग रायगढ़ के विरूद्ध मकान आबंटित न करते हुए नक्सलाईट क्षेत्र मे स्थानांतरण करने की धमकी देने की शिकायत की है। इस पर आयोग ने श्री आर.एन यादव मुख्य कार्यपालन अभियंता को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया है। श्रीमती सगरी बाई पटेल तह. बालोद जिला दुर्ग ने शिक्षाकर्मी हेतु 2 लाख गबन किये जाने की शिकायत श्री रतन कुमार मंडल शासकीय नेमीचंद जैन महाविद्यालय के कर्मचारी के विरूद्ध की है। आयोग ने पुलिस अधीक्षक दुर्ग को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु लिखा है। श्री जितेन्द्र साहू, कु. सीमा साहू द्वारा आयोग में शिकायत की गई थी की अनुविभागीय अधिकारी आरंग द्वारा जाति प्रमाण पत्र प्रदत्त नहीं किया जा रहा है। आयोग के द्वारा निर्देशित करने उपरांत अनुविभागीय अधिकारी आरंग

द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया।

छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में भोई जाति के समाज प्रमुख द्वारा आवेदन दिया गया था की सूची में "भोईकहार" जाति एक शब्द के रूप में लिखे जाने के कारण भोई एवं कहार दोनों जातियों का प्रमाण पत्र बनाने में कठिनाई हो रही है। इस संबंध में आयोग ने संचालक आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण रायुपर को समस्या के समाधान हेतु पत्र लिखा था। अब्दुल अली अजीजी, सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पत्र पर कार्यवाही करते हुए आयोग ने संचालक आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण रायपुर को अल्पसंख्यकों की जिलेवार जनसंख्या एवं प्रतिशत की जानकारी हेतु पत्र प्रेषित किया गया। तथा इस संबंध में सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास छत्तीसगढ़ शासन रायपुर को जानकारी संग्रहण हेतु संसाधन उपलब्ध कराने हेतु पत्र लिखा गया। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तरा खण्ड, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग कर्नाटका, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग मध्य प्रदेश, एवं अन्य प्रदेशों से भी विभिन्न मुद्दों पर आयोग का सम्पर्क लगातार बना रहता है। इसी सिलसिले में दिनांक 03.10.2008 को आयोग टीम ने महाराष्ट्र राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का भ्रमण किया जिसमें डॉ. गणेश कौशिक, श्री देवेन्द्र जायसवाल, श्री बद्रीश सुखदेवे, श्री एस.एल. साहू, श्री उत्तरा कुमार पटेल शामिल थे। दिनांक 17.12.2008 पश्चिमी के अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का भ्रमण किया जिसमें श्री देवेन्द्र जायसवाल, एवं श्री एस.एल. साहू शामिल थे।

राष्ट्रीय स्तर पर आयोग के कार्यक्षेत्र का विस्तार हुआ एवं विभिन्न प्रदेशों के अधिकारी एवं आयोग के अध्यक्ष/सदस्यों के मध्य आपसी सौहर्द में वशद्धि हुई तथा अलग–अलग राज्यों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कार्यरत योजनाओं, कार्यविधि एवं सश्जनात्मक कार्यों का अनुभव प्राप्त हुआ।

अध्याय - 16

छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की वार्षिक गतिविधियों की एक झलक छायाचित्रों में

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश श्री एस.आर. पानडियन का छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग कार्यालय में आगमन व स्वागत

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश श्री नारायण चंदेल एवं आयोग के अन्य माननीय सदस्यों व कार्यायलीन कर्मचारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक में

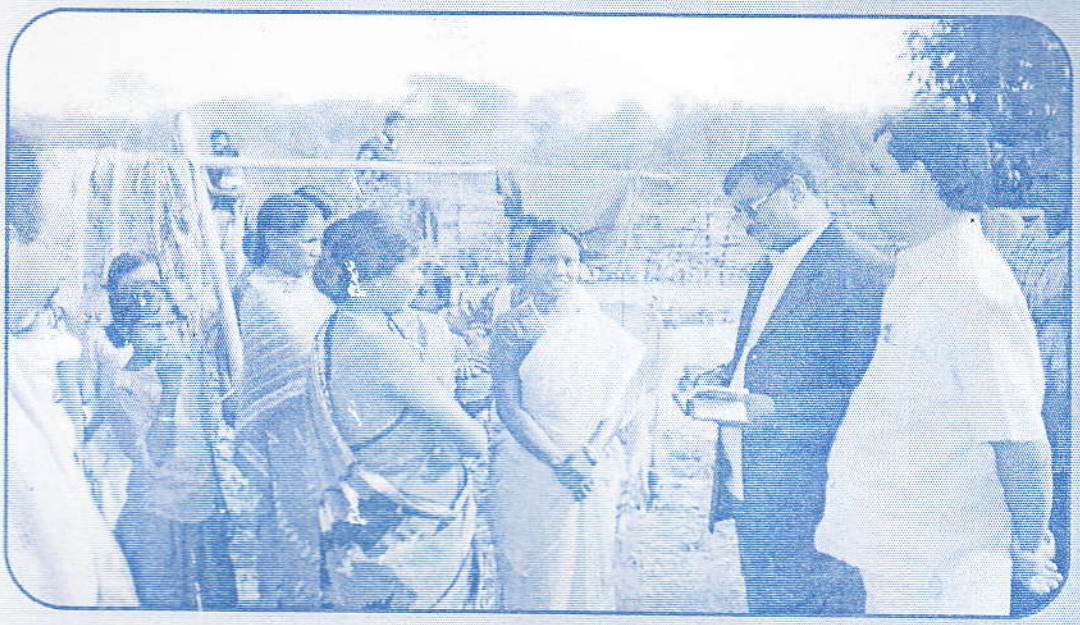

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के मा. सदस्य श्री देवेन्द्र जायसवाल एवं आयोग के शासकीय सेवा श्री एस.एल. साहू पश्चिम बंगाल के भ्रमण के दौरान प. बंगाल की पिछड़े वर्ग की जातियो के एक समूह से चर्चा करते हुए

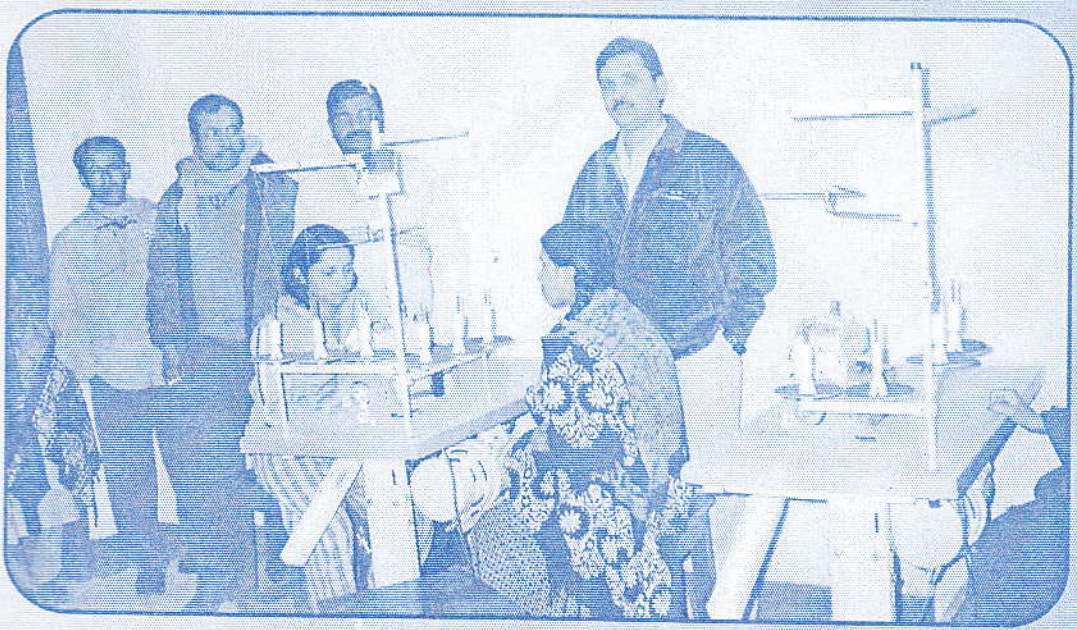

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के माननीय सदस्य श्री देवेन्द्र जायसवाल एवं आयोग के शासकीय सेवा श्री एस.एल. साहू पश्चिम बंगाल के भ्रमण के दौरान प. बंगाल की पिछड़े वर्ग की जातियो के द्वारा संचालित एक लघु उद्योग कार्यशाला का निरीक्षण करते हुए

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के माननीय सदस्य श्री देवेन्द्र जायसवाल एवं आयोग के शासकीय सेवको के दल के साथ राज्य के पिछड़े वर्ग की जातियों का अध्ययन व अनुसंधान करते हुए एक ग्राम में

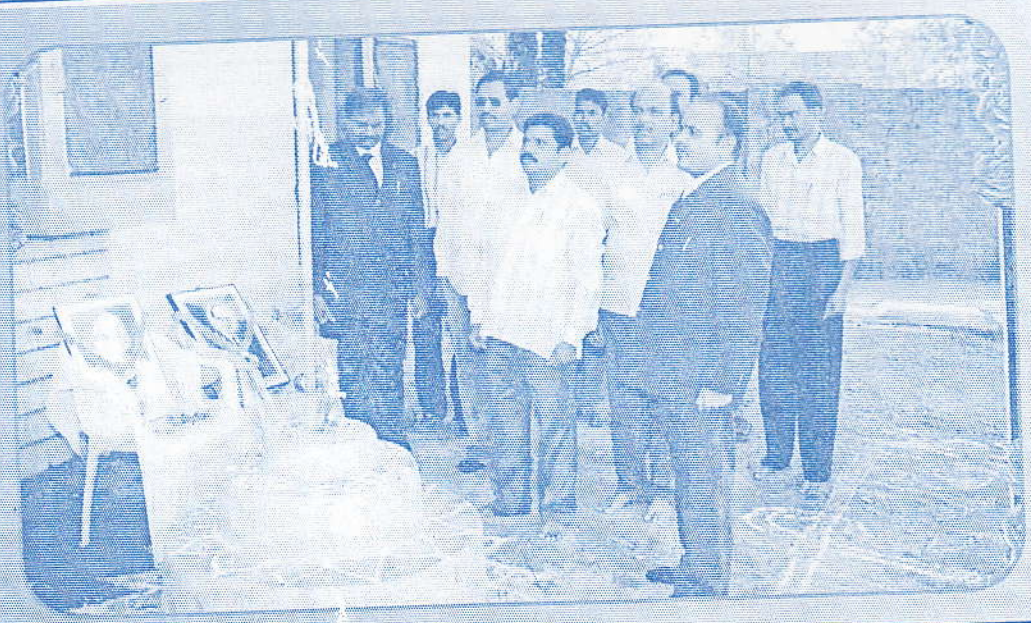

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सचिव श्री बद्रीश सुखदेवे एवं आयोग परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा राज्य कार्यालय में ध्वजारोहण व राष्ट्रीय गान का गणतंत्र दिवस के अवसर पर गायन करते हुए।

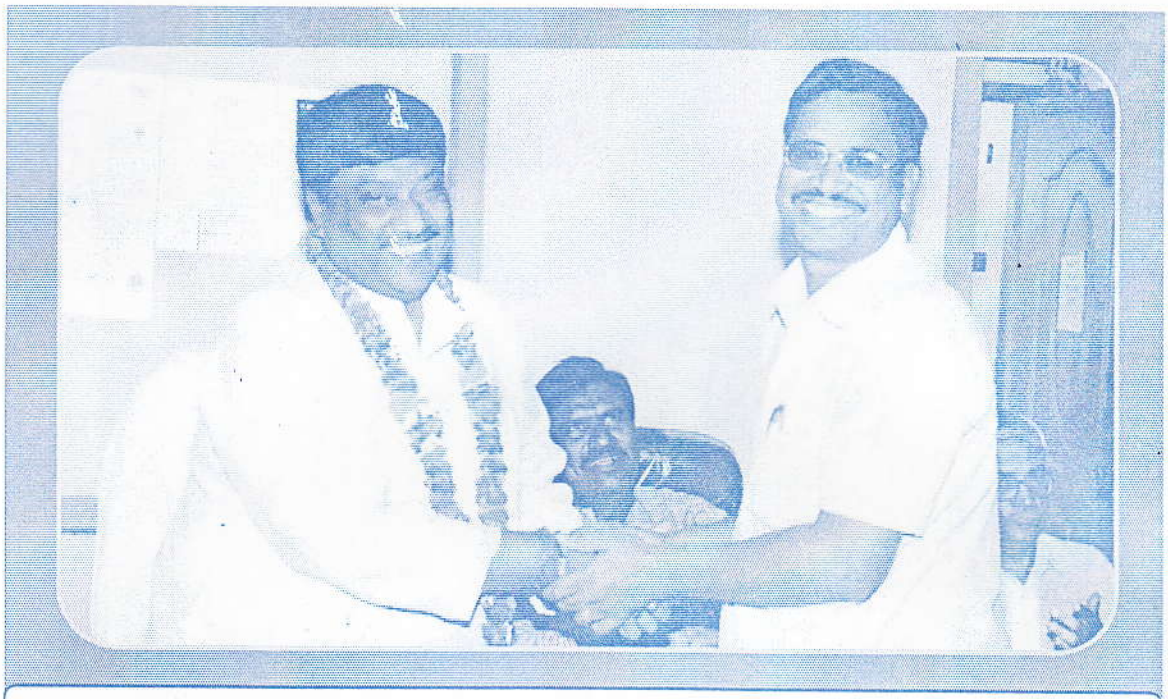

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के मा.. पूर्व अध्यक्ष श्री नारायण चंदेल के विधानसभा में निर्वाचित होने के उपरांत राज्य आयोग कार्यालय में अभिनंदन करते हुए आयोग के शासकीय सेवक श्री उत्तरा पटेल

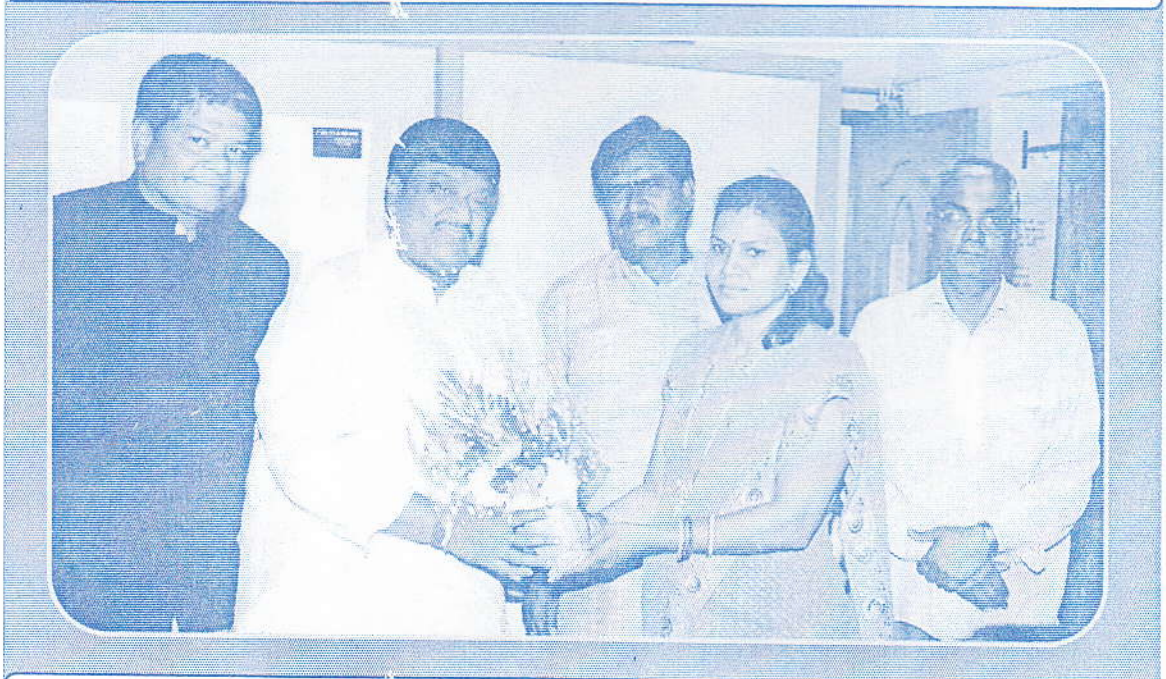

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के मा. पूर्व अध्यक्ष श्री नारायण चंदेल के विधानसभा में निर्वाचित होने के उपरांत राज्य आयोग कार्यालय में अभिनंदन कार्यक्रम में पुष्पगुच्छ भेट करती हुई आयोग की अनुसंधान अधिकारी श्रीमति अनिता डेकाटे

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के मा. पूर्व अध्यक्ष श्री नारायण चंदेल के विधानसभा में निर्वाचित होने के उपरांत राज्य आयोग कार्यालय में अभिनंदन कार्यक्रम में स्मृति चिन्ह भेट करते हुए आयोग परिवार

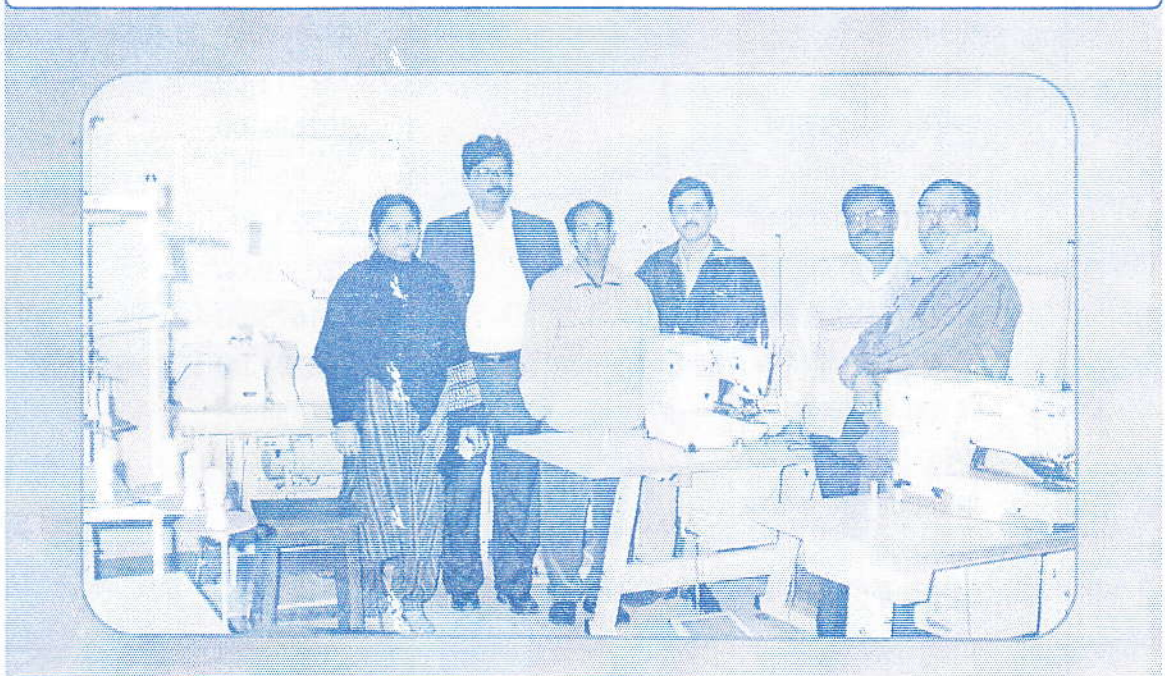

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के माननीय सदस्य श्री देवेन्द्र जायसवाल एवं आयोग के शासकीय सेवा श्री एस.एल. साहू पश्चिम बंगाल के भ्रमण के दौरान प. बंगाल की पिछड़े वर्ग की जातियो के द्वारा संचालित एक लघु उद्योग कार्यशाला का निरीक्षण करते हुए

अध्याय - 17

अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत आयोग का वित्तीय लेखा-जोखा

आयोग के अधिनियम के अनुसार आयोग को प्रतिवर्ष राज्य शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में आयोग का वार्षिक लेखा प्रस्तुत करने का प्रावधान है जिसमें आयोग को प्राप्त समस्त प्राप्तियों तथा व्ययों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करना पड़ता है।

1 अप्रैल 2008 से 31 मार्च 2009 की आयोग का वित्तिय लेखा जोखा

क्रमांक	कार्य का नाम	व्यय की गई राशि
1.	वेतन, महंगाई वेतन, महंगाई भत्ता, अन्य भत्ता, मकान किराया भत्ता	2496990.00
2.	चिकित्सा व्यय प्रति पूर्ति	-
3.	दैनिक वेतन भोगी	263605.00
4.	यात्रा भत्ता	192900.00
5.	कार्यालय व्यय	32497.00
6.	डाकतार व्यय	4141.00
7.	दूरभाष व्यय	131513.00
8.	फर्नीचर एवं उपकरण	102684.00
9.	पुस्तकें एवं नियमित कालीन पत्रिकाएं	36796.00
10.	बिजली एवं जल प्रभार	33227.00
11.	लेखन सामग्री एवं फार्म छपाई	226599.00
12.	अन्य आकस्मिक व्यय	171675.00
13.	पेट्रोल/वाहन/किराया/वाहन क्रय आदि	782134.00
14.	किराया महसुलकर	462954.00
15.	प्रचार-प्रसार	1358460.00
16.	गैर कार्यालयीन फर्नीचर	-
17.	अन्य व्यय	23414.00
18.	मशीन एवं उपकरण	132972.00
	31 मार्च 09 तक व्यय किया गया कुल योग :-	**6455561.00**

छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग

मान. डॉ. रमन सिंह
मुख्यमंत्री
छ.ग. शासन

मान. केदार कश्यप
मंत्री
आदिम जाति कल्याण विकास

छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष मा. नारायण चंदेल के विधायक निर्वाचित होने के उपरांत आयोग के कार्यालयीन परिवार द्वारा अभिनंदन कार्यक्रम में स्मृति चिन्ह भेट करते समय